केन्द्रीय कार्यालय
हरिहरभवन, ललितपुर
पोष्ट बक्स नं. : ९१८२, काठमाडौं
इमेल : nhrc@nhrcnepal.org
फोन नं. : ०१-५०१००१५, १६, १७, १८
वेब साइट : www.nhrcnepal.org
फ्याक्स : ०१-५५४७९७३, ५५४७९७५
हटलाइन : ५० १० ०००

क्षेत्रीय कार्यालयहरू
बिराटनगर, बर्गाछी चोक
फोन नं. : ०२१-४६१९३१, ४६१०९३
फ्याक्स : ०२१-४६११००

जनकपुर, देवीमार्ग
फोन नं. : ०४१-५२७८११, ५२७८१२
फ्याक्स : ०४१-५२७२५०

पोखरा, जनप्रिय मार्ग
फोन नं. : ०६१-४६२८११, ४६२८२२
फ्याक्स : ०६१-४६५०४२

नेपालगञ्ज, शान्तिनगर
फोन नं. : ०८१-५२६७०७, ५२६७०८
फ्याक्स : ०८१-५२६७०६

धनगढी, उत्तर बेहेडी
फोन नं. : ०९१-५२५६२१, ५२५६२२
फ्याक्स : ०९१-५२५६२३

उप-क्षेत्रीय कार्यालयहरू
खोटाङ, दिक्तेल
फोन नं. : ०३६-४२०२८४

रूपन्देही, बुटवल
फोन नं. : ०७१-५४६९११

जुम्ला, खलङ्गा
फोन नं. : ०८७-५२०२२२

'सब के खातिर घरे घरे मानव अधिकार
शांति आ विकास के आधार'

मानव अधिकार सम्बन्धी जनही पर्ना बात

(मानव अधिकार सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुराहरु)

थारु संस्करण

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

संयोजन	:	मा. श्री गोविन्द शर्मा पौड्याल सूर्य बहादुर देउजा
सहयोग	:	**SCNHRC/UNDP**
प्रकाशक	:	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल
प्रकाशन तिथि	:	असार २०७२
संस्करण	:	प्रथम
प्रति	:	५०० पाः
प्रतिवेदन नं.	:	रा.मा.अ.आ. १९६
मुद्रण	:	कालिञ्चोक प्रिटिङ्ग प्रेस, बबरमहल, काठमाडौं
सर्वाधिकार	:	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल

आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरू :

अध्यक्ष	:	माननीय श्री अनूपराज शर्मा
सदस्य	:	माननीय श्री प्रकाश शर्मा वस्ती
सदस्य	:	माननीय श्री सुदीप पाठक
सदस्य	:	माननीय श्री मोहना अन्सारी
सदस्य	:	माननीय श्री गोविन्द शर्मा पौड्याल

मन्तव्य

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ अनुसार स्थापना हुइल स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय संस्था हो। नेपालके अन्तरिम संविधान, २०६३ यिहीहे संवैधानिक अङ्गके हैसियत प्रदान कर्ले बा। मानव अधिकारके प्रभावकारी संरक्षण र सम्वर्द्धन कर्ना आयोगके प्रमुख कर्तव्य हुइलक् ररसे स्थापनाकालसे नै आयोग मानवअधिकारके संरक्षण र प्रवर्द्धन काममे क्रियाशील हुइती आइल बा। नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी चौबीस थो अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखके पक्षराष्ट्र होके मानवअधिकारके सम्मान र संरक्षणके लाग प्रतिवद्धता जनासेकल अवस्था बा। साथे, नौ थो भारी महासन्धिमध्ये सात थो महासन्धिके पक्षराष्ट्र हुइल नेपालहे संविधान र कानुनमे समेत रहे अनुरुप नागरिक र मानव अधिकार सुनिश्चित कर्ना दायित्व रहल छ।

मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन कर्ना प्रमुख कर्तव्य रहल यी आयीगसे सबके लाग घर घरमे मानव अधिकार शान्ति ओ विकासके आधार कना नारासहित मानवअधिकारके अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय अभिलेखमे उल्लेख हुइल अधिकारके बारेम चेतना, शिक्षा ओ सूचनामे पहुँच अभिवृद्धि कर्ना उद्देश्यके साथ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालके संविधान, मानवअधिकार आयोग ऐन तथा मानवअधिकार सम्बन्धी तमाम सन्धि सम्झौतामे आधारित होके, मानव अधिकार सम्बन्धी जनहीपर्ना बात् विषयक् यी पुस्तिका प्रकाशनमे लन्ना जमर्को कर्ले बा।

आयोगसे प्रकाशित मानवअधिकार प्रश्नोत्तर संगालोहे सरलीकृत ओ परिर्माजन कैगिल यी पुस्तिकामे मानवअधिकारके समग्र विषयवस्तु ओ अभिलेखहे समेटे नैसेक्लेसेफे मानवअधिकारके आधारभूत अवधारणाहे प्रश्नोत्तरके रूपमे प्रस्तुत कैगिलक् ओरसे सर्वसाधारण हुक्रनहे बुझ्ना सजिल हुइना अपेक्षा कैगिल बा। साथे सबकेलाग घर घरमे मानवअधिकार अभियानहे सार्थकता प्रदान करकलाग यी पुस्तिका सहयोग पुगैना समेत अपेक्षा कैगिल बा।

यी पुस्तिकाके तयारी, सम्पादन तथा प्रकाशनके लाग योगदान देहुइया आयोगमे कार्यरत सूर्यबहादुर देउजा, खिमानन्द बस्याल, लगायत सक्कु कर्मचारीहुक्रनहे धन्यवाद व्यक्त करतुँ।

अनुपराज शर्मा
अध्यक्ष
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
माघ २०७१

विषयसूची   पेज

१.	मानव अधिकार	१
२.	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	६
३.	नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार	१३
४.	आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार	१६
५.	जातीय भेदभाव विरुद्धके अधिकार	१९
६.	महिला अधिकार	२२
७.	यातना विरुद्धके अधिकार	२६
८.	बालअधिकार	२८
९.	आप्रवासीश्रमिक हुक्रनके अधिकार	३१
१०.	अपाङ्गता व्यक्तिनके अधिकार	३५
११.	बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धके अधिकार	३७
१२.	अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन	३९
१३.	आदिवासी जनता हुक्रनके अधिकार	४२

मानव अधिकार

१. मानव अधिकार कलक् का हो ?

उत्तर :मानव अधिकार कलक् मनैनहे आत्मसम्मानपूर्वक बाँचकलाग नैहोके नैहुइना बहुत आवश्यक तत्व हो । यी तत्व पैना मनैनके नैसर्गिक हक हो, जौन परिपूर्ति नैहुइल वा हनन् हुइल खण्डमे दाबी करके प्राप्त करे सेकजाईथ् । मानव अधिकार मनैनहे मनै हुइलक् ओरसे प्राकृतिकरूपमे प्राप्त हुइथ् । तबमारे मानव अधिकारहे जन्मसिद्ध अधिकार वा नैसर्गिक अधिकार फे कहिजाइथ् । पोसलग्ना खाना पेटभर खाइ पैना, कमसेकम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य ओ निःशुल्क पैना, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पैना, सक्कुहुन हस समान व्यवहार पैना, विचार ओ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पैना, आपनहे असर पर्ना विषयके निर्णय कर्ना प्रक्रियामे सहभागी हुई पैना, पेसा तथा रोजगारी छनौट स्वतन्त्रता आदि मनैनके आधारभूत अधिकार हो ।

२. मानव अधिकारहे ऐन कैसिक् परिभाषित कर्ले बा ?

उत्तर : मनैनहे मनैनके हैसियतमे मर्यादित होके बाँचकलाग आवश्यक पर्ना सब अधिकारहे मानव अधिकार कहिजाइथ् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ "मानव अधिकार" कलक् मनैनके जीवन, स्वतन्त्रता, समानता ओ मर्यादासँगे सम्बन्धित संविधान तथा औरे प्रचलित कानुनसे प्रदान कैगिल अधिकार सम्झे परथ् ओ ऊ शब्द नेपाल पक्ष रहल मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमे निहित अधिकार समेतहे जनाइथ् कहिके परिभाषित कर्ले बा ।

३. मानव अधिकारके मूलभूत सिद्धान्त का हो ?

उत्तर :मानव अधिकारके सिद्धान्त कलक् मानव अधिकार दस्तावेजके सार हो । यिहे सिद्धान्तके मनन ओ अभ्यासके आधारमे किल मानव अधिकारके प्रचलन सम्भव बा । उल्लेखित बातहे मानव अधिकारके मुलभूत सिद्धान्तके रूपमे वर्णन करल पाजाइथ् : विश्व व्यापकता : मानव अधिकारके सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसे कैगिलक् ओरसे यी विश्वव्यापी रहथ् । मनै अपने मनै हुइलक् कारण प्राप्त कर्ना अधिकार हुइलक् ओरसे मानव अधिकारके प्रावधान विश्वभरके मनैनके लाग समानरूपसे लागु हुइपरथ् । समानता ओ अभेदभाव : मानव अधिकारके मूल मर्म मानवीय आत्मसम्मान रहल ओ विभेदसे आत्मसम्मानहे निषेध कर्ना हुइलक् ओरसे समानता तथा भेदभावरहित मानव अधिकारके कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण बा । सक्कु मानव अधिकार सक्कु मनै समानरूपसे उपभोग करे पाइ परथ् । कानुन प्रयोग करेबेर कौनोफे मनैनबीच जात, जाति, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, जन्म (कैसिन कुलमे जन्मल हो), शारीरिक अवस्था (जस्ते(अपाङ्गता, एचआइभी सङ्क्रमण) लगायत् कौनाफे आधारमे भेदभाव करे नैहुइथ् । कानुनके आघे सक्कु समान रथैं । सक्कुजे समानरूपमे आपन अधिकार उपभोग करे सेंकित् कहिके आपन अधिकार दाबी तथा संरक्षण करे नैसेक्ना कमजोर वर्गनके अधिकार सुरक्षित कराइक लाग राज्यसे प्राथमिकता दिहे परथ् ।

अहस्तान्तरणीयता : मानव अधिकारके मूल तत्व कलक् मानवीय आत्मसम्मानके रक्षा हो । जीवनके अधिकार कना नै आत्मसम्मान पूर्वक बाँचे पैना अधिकार हो । मानवीय आत्मसम्मान विना मानव जीवन पशुतुल्य हुइना हुलक् ओरसे कौनो फे मनैनहे ओकर कौनो अधिकारसे वञ्चित करे नैमिलथ् । मानव अधिकार औरे जनहनहे हस्तान्तरण करेफे नैमिलथ् ।

अन्तरनिर्भरता : मानव अधिकार अविभाज्य हुइनाके साथे एक दोसरसे अन्तरनिर्भर ओ अन्तरसम्बन्धित फे बा । जस्तेः स्वास्थ्यके अधिकार पूरा हुइक्लाग खाद्य, पानी, स्वच्छ वातावरण, यातनाविरुद्ध, समानता लगायत तमाम अधिकार पूरा हुइना जरुरी रहथ् । ओस्तके खाद्य अधिकार पूरा हुइकलाग रोजगारी, पेसा व्यवसाय तथा रोजगारी सम्बन्धी अधिकार पुरा हुई परथ् ।

अविभाज्यता : मानव अधिकारहे ओकर कार्यान्वयनके सन्दर्भमे यी अधिकार देना/नैदेना कहिके विभाजन करे नैमिलथ् । मानव अधिकार अविभाज्य रहथ् कना मान्यता राखगिल रहथ् ।

४. का मानव अधिकारहे छुट्टयाके दिहे मिलथ् ?

उत्तर :सक्कु किसिमके अधिकार अन्तरनिर्भर ओ अविभाज्य हुइलक् ओरसे मनैनहे ऊ अधिकार छुट्टयाके दिहे नैमिलथ् । एक मनैनहे पोसलग्ना ओ पर्याप्त खाना, शिक्षा, स्वास्थ्यके अधिकार नैदेना हो कलसे बोले पैनाके कौनो सार बाँकी नैरहथ् । ओस्तके खाना, कपरा (नाना), छानाके अधिकार देना मने स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल कर्ना, बोल्ना, सङ्गठित हुई नैदेना हो कलसे ओकर जीवन मर्यादित नैरही ।

५. नागरिक ओ राजनैतिक अधिकार कैसिन अधिकार हो ?

उत्तर :मानव अधिकारके विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नागरिक ओ राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध देहायके प्रमुख अधिकार प्रदान कर्ले बा :

जीवनके अधिकार : हरेक मनैनहे बाँचे पैना अधिकार रहल, यकर कानुनसे संरक्षण कैजिना ओ स्वेच्छाचारी ढङ्गसे केत्रोफे जीवनहरण नैकर्ना उल्लेख बा । साथे १८ वरष तरेक ओ गर्भवतीहे मृत्युदण्ड दिहे नैहुइना, सेकत्सम मृत्युदण्ड उन्मूलन करेपर्ना, मृत्युदण्डके सजाय हुइल मनैनहे माफी वा दण्ड कटौतीके माग कर्ना अधिकार हुइना जैसिन बात यी अन्तर्गत परथ् । यी अधिकार सङ्कटकालमे समेत हरण करे नैहुइना उल्लेख बा । (अनुवन्धके धारा ६)

यातना विरुद्धके हक : यी हक अन्तर्गत किहुहे फे यातना नै देना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नैकैना ओ केत्रो उपरफे ओकर मन्जुरीविना शरीरके अनुसन्धान वा खोज करे नैपैना बात परथ् । यी अधिकार फे सङ्कटकालमे समेत हरण करे नै पाजाइथ् (धारा ७) । यातना तथा क्रूर, अमानवीय व्यवहार विरुद्ध छुट्टे महासन्धि फे बा, जेकर नेपाल पक्ष राष्ट हो सेकल बा ।

दासता विरुद्धके हक : यी अन्तर्गत किहुहे फे दासत्वमे नैरख्ना, दासत्व ओ दास व्यापार निषेध कैजिना, किहुहे बाँधा श्रमिकके रूपमे नैरख्ना बात सङ्कटकालमे फे हरण करे नैसेक्ना अधिकारके रूपमे मानगिल बा । यी बाहेक यी अधिकार अन्तर्गत किहुहे फे इच्छाविरुद्ध काम करैना वा अनिवार्य श्रम करे नै लगैना बातफे परथ् । (धारा ८) स्वतन्त्रता ओ सुरक्षाके अधिकार : किहुहे फे स्वेच्छाचारी ढङ्गसे पक्राउ कर्ना वा थुनामे रख्ना काम नैकर्ना, पक्राउ करल मनैनहे पक्राउ परल समयमे रकर कारण ओ आरोपके जानकारी देना, पक्राउ कैगिल मनैनहे हालीसेहाली मुद्दा सुन्ना अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत करेपर्ना, गैरकानुनी थुनामे राखलहे क्षतिपूर्ति माग कर्ना अधिकार हुइना बात यी अन्तर्गत परथ् । (धारा ९)

मानवोचित व्यवहारके अधिकार : यी अन्तर्गत थुनामे राखल मनै ओ कैदीहे मानवीय तथा सम्मानजनक व्यवहार कैजिना, अभियुक्त (अपराधको अभियोग लागल मनै) ओ अपराधीके रूपमे सजाय भोग्तिरहल मनैनहे तथा बालअभियुक्तहे वयस्कसे अलग राखजिना ओ कैदमे रख्लसे कैदीके सुधार तथा पुनर्स्थापना कर्ना हिसाबसे व्यवहार कर्ना अधिकार परथ् ।

६. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कैसिन अधिकार हो ?

उत्तर :आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अनुबन्धसे देहायके प्रमुखअधिकार प्रदान कर्ले बा :

- समानता ओ भेदभाव विरुद्धके अधिकार

- रोजगारीके अधिकार
- संगठन तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार
- सामाजिक सुरक्षाके अधिकार
- परिवारके संरक्षणके अधिकार
- आर्थिक सामाजिक शोषणसे सुरक्षा पैना अधिकार
- खाना, कपरा तथा आवासके अधिकार
- स्थास्थ्य सम्बन्धी अधिकार
- शिक्षाके अधिकार
- सांस्कृतिक जीवनमे सहभागी हुई पैना अधिकार

७. मानव अधिकारके संरक्षण कलक् का हो ?

उत्तर :मानव अधिकारके संरक्षण कलक् केत्रो अधिकार उल्लङ्घन हुई लागल अवस्थामे उल्लङ्घन हुइनासे रोक्ना ओ होसेकल बा कलसे ऊ अधिकार बहाली कर्ना काम जनाइथ् । मानव अधिकार संरक्षण कर्नाके अर्थ नागरिकहे कौनोफे किसिमके हानि हुइनासे बचैना तथा अधिकार उल्लङ्घन करुइया अधिकारीहे जिम्मेवार बनाके कानुनबमोजिम कारबाही कर्ना तथा पीडित पक्षहे क्षतिपूर्ति लगायत्के उपयुक्त कानुनी उपचार प्रदान कर्ना हो । मानव अधिकार संरक्षण करकलाग व्यक्तिके उजुरीके आधारमे किल नैकैके राज्यसे स्वयं अधिकार परिपूर्तिके अनुगमन कर्ना काम कर्ना जरुरी हुइथ् । ऐसिक मानव अधिकार संरक्षणके लाग सरकारी निकाय, अदालत, मानव अधिकार आयोग लगायतके प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना कर्नाके साथे अधिकारवाला, कर्तव्यवाला तथा आम नागरिकमे अधिकारप्रतिके सजगता महत्वपूर्ण रहथ् ।

८. नौ भारी महासन्धि कलक् का हो ?

उत्तर :मानव अधिकारके संरक्षण तथा सम्बर्द्धनके निमित्त बनल महासन्धिमध्ये नौ थो महासन्धिमे हस्ताक्षर करल पक्ष राष्ट्रहुक्के ओम्ने व्यवस्था कैगिल अधिकारके प्रचलन कत्रा पालन कर्लै वा नैकर्लै कहिके अनुगमन कर्ना व्यवस्था नौ भारी महासन्धिमे कैगिल बा ।

- जातीय विभेद सम्बन्धी महासन्धि
- नागरिक ओ राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
- आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
- महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
- यातना विरुद्धके अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
- बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
- आप्रवासी श्रमिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
- बलपूर्वक कैगिल बेपत्ता सम्बन्धी महासन्धि

- अपाङ्ग मनैनके अधिकार सम्बन्धी महासन्धि

प्रमुख ९ महासन्धिमध्ये जबर्जस्ती बेपत्ता पर्ना सम्बन्धी महासन्धि लागु होसेकल नै हो कलसे नेपाल आप्रवासी कामदारके अधिकारसम्बन्धी महासन्धिके पक्ष राष्ट्र फे नै हुइल हो ।

९. मानव अधिकार संरक्षणके संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संयन्त्र कैसिन बातै ?

उत्तर : सन् १९४५ मे स्थापना हुइल संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भित्तर मानव अधिकारके संरक्षणके लाग मूलतः २ किसिमके संयन्त्र बातैं । पहिला(सन्धिमे आधारित संयन्त्र (Treaty Based Bodies) जे भारी ९ महासन्धिके व्यवस्था अनुगमन करथ् । दोसर(बडापत्रमे आधारित संयन्त्र (Charter Based Bodies) हो । यिहीसे भारी ९ महासन्धिके पक्ष हुइल तथा नैहुइल संयुक्त राष्ट्र सङ्घके सक्कु सदस्य राष्ट्रमे मानव अधिकारके अनुगमन करथ् ।

१०. मावनीय कानुन कलक का हो ?

उत्तर :मानवीय कानुन कलक् सशस्त्र द्वन्द्वके समयमे मानव जीवनके रक्षा करक्लाग अपना जिना सर्वमान्य विधि ओ प्रक्रियाके सङ्गालो हो । यिहीले द्वन्द्वमे कबुफे सामेल नैहुइल मनै वा वर्तमानमे द्वन्द्वमे संलग्न नैरहल मनैनके संरक्षण करथ् । द्वन्द्वके समयमे द्वन्द्वके पक्षसे नागरिक जमात ओ द्वन्द्वमे संलग्न लडाकु हुक्नहे स्पष्टसँग अलग करे परथ् । कौनोफे हालतमे नागरिक जमातहे आक्रमण करे नैमिलथ् । ओइसिन आक्रमण लडाकुबीच सैन्य प्रयोजनके लाग किल हुई सेकी । मानव अधिकार ओ मानवीय कानुन दुनुक् उद्देश्य मनैनहे अनावश्यक आइपर्ना दुःखसे बचैना हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

११. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग का हो ?

उत्तर :राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण ओ सम्वर्द्धनके लाग स्थापित संवैधानिक निकाय हो । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अनुसार २०५७ जेठ १३ गते स्थापित यी आयोगहे नेपालके अन्तरिम संविधान, २०६३ के भाग १५ अन्तर्गत संविधानके धारा १३१ से १३३ मे संवैधानिक निकायके रूपमे स्थापित कर्ले बा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ जारी हुइल पाछे आयोगके काम कारवाही यिहे ऐन अन्तर्गत हुइती आइल बा । मानव अधिकारके प्रभावकारी संरक्षण ओ प्रवर्द्धन कर्ना आयोगके प्रमुख कर्तव्य हुइलक् ओरसे स्थापनाकालसे नै आयोग मानव अधिकारके संरक्षण ओ प्रवर्द्धन काममे क्रियाशील हुइती आइल बा ।

१२. पेरिस सिद्धान्त कलक का हो ?

उत्तर :राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था हुक्नके स्वतन्त्रता, स्वायत्तता ओ यी संस्थाहुक्नके काम, कर्तव्य ओ अधिकारके बारेमे निर्देशित करकलाग सन् १९९१ मे पेरिसमे सम्पन्न हुइल राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था हुक्नके सम्मेलनसे पारित होके सन् १९९३ मे संयुक्त राष्ट्रसङ्घसे पेरिस सिद्धान्त जारी कैगिल (जिहिहे छोटकरीमे पेरिस सिद्धान्त कहिजाइथ्) बा । पेरिस सिद्धान्तसे आयोगके स्वतन्त्रता ओ स्वायत्तता, गठन प्रक्रिया, पर्याप्त आर्थिक स्रोत सहितके आर्थिक स्वतान्त्रता, मानव अधिकार संरक्षण ओ सम्बर्द्धनके लाग पर्याप्त कार्याधिकार लगायतके विषयहे समेट्ले बा । ओहे सिद्धान्तमे आधारित होके राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालके स्थापना हुइल हो । सोही सिद्धान्तके आधारमे मानव अधिकार संस्थाके अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिसे राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाके वर्गीकरण करथ् । ओकर अन्तर्गत यी आयोग स्थापनाकालसे नै 'ए' हैसियतमे रहती आइल बा ।

१३. नेपालके अन्तरिम संविधान, २०६३ मे आयोगके गठन सन्बन्धी कैसिन व्यवस्था कैगिल बा ?

उत्तर :आयोगके पदाधिकारीनके नियुक्ति बहुलवादके सिद्धान्तमे आधारित होके संवैधानिक परिषदके सिफारिसमे संसदीय सुनुवाइ पश्चात् राष्ट्रपतिसे हुइना ओ आयोगके पदाधिकारीहुक्नके ६ वरषके कार्यकाल रहना व्यवस्था कैगिल बा । आयोगमे अध्यक्ष लगायत औरे चारजने सदस्यहुक्के कैके पाँचजने पदाधिकारी रहना संवैधानिक व्यवस्था बा । मानव अधिकारके संरक्षण ओ सम्बर्द्धनके क्षेत्रमे विशिष्ट योगदान पुऱ्याइल सर्वोच्च अदालतके प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदसे सेवा निवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारके संरक्षण ओ सम्वर्द्धन या समाज सेवाके क्षेत्रमे क्रियाशील रहीके विशिष्ट योगदान करल ख्यातिप्राप्त मनैन मध्येसे एक जनहनहे अध्यक्षमे नियुक्त कर्ना व्यवस्था बा । अस्तके मानव अधिकारके संरक्षण ओ सम्बर्द्धन वा समाजसेवाके क्षेत्रमे क्रियाशील रहीके विशिष्ट योगदान पुगाइल ख्यातिप्राप्त व्यक्ति मध्येसे महिला (जन्नी) सहितके विविधता हुइना गरी चारजने सदस्यके नियुक्ति हुइना व्यवस्था अन्तरिम संविधानमे कैगिल बा ।

१४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगके मुख्य कर्तव्य का(का हो ? ऊ कर्तव्य पूरा करकलाग आयोग का कैसिन काम करथ् ?

उत्तर : नेपालके अन्तरिम संविधान २०६३ के धारा १३२ मे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगके काम, कर्तव्य ओ अधिकारके बारेमे उल्लेख कैगिल बा । ऊ अनुसार मानवअधिकारके सम्मान, संरक्षण ओ संवर्द्धन तथा ओकर प्रभावकारी कार्यान्वयनहे सुनिश्चित कर्ना आयोगके प्रमुख कर्तव्य हो । ऊ कर्तव्य पूरा करकलाग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग निम्न काम करथ :

(क) कौनो मनै वा समूहके मानवअधिकार उल्लङ्घन वा ओकर दुरुत्साहन हुइलसे पीडित मनै अपनहँ वा निजके तरफसे कोइ आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित करल निवेदन वा उजुरी वा कौनो स्रोतसे आयोगहे प्राप्त हुइल जानकारी वा आयोगके अपने स्वविवेकसे ओकर छानबिन तथा अनुसन्धान कैके दोषीउपर कारबाही करकलाग सिफारिस कर्ना,

(ख) मानवअधिकारके उल्लङ्घन हुइनासे रोक्ना जिम्मेवारी वा कर्तव्य रहल पदाधिकारीसे आपन जिम्मेवारी पूरा नैकर्लसे वा कर्तव्य पालन नैकर्लसे वा जिम्मेवारी पूरा करक लाग वा कर्तव्य पालना करक लाग उदासीनता देखैलसे ओइसिन पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही करकलाग सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस कर्ना,

(ग) मानवअधिकार उल्लङ्घन करुइया मनैनके विरुद्ध मुद्दा चलाइपर्ना आवश्यकता हुइलसे कानुन बमोजिम अदालतमे मुद्दा दायर करक लाग सिफारिस कर्ना,

(घ) मानव अधिकारके सचेतना अभिवृद्धि करक लाग नागरिक समाजसँगे समन्वय ओ सहकार्य कर्ना,

(ङ) मानवअधिकारके उल्लङ्घनकर्ताहे विभागीय कारबाही तथा सजाय करकलाग कारण ओ आधार खुलाके सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस कर्ना,

(च) मानवअधिकारसे सम्बन्धित प्रचलित कानुनके आवधिक रूपमे पुनरावलोकन कर्ना तथा ओम्ने करेपर्ना सुधार तथा संशोधनके सम्बन्धमे नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस कर्ना,
(छ) मानवअधिकारसे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताके नेपाल पक्ष बनेपर्ना हुइलसे ओकर कारणसहित नेपाल सरकारहे सिफारिस कर्ना ओ पक्ष बनसेकल सन्धि वा सम्झौताके कार्यान्वयन हुइल नैहुइल अनुगमन करके कार्यान्वयन नैहुइल पैलसे ओकर कार्यान्वयन करकलाग नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस कर्ना,
(ज) मानवअधिकारके उल्लङ्घनके सम्बन्धमे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसे कैगिल सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नैकर्ना पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायके नाम कानुन बमोजिम सार्वजनिक कैके मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताके रूपमे अभिलेख कर्ना ।

१५. आयोग मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कैसिन काम करथ् ?

उत्तर : आयोगसे मानवअधिकारके संरक्षणसम्बन्धी निम्न काम हुइथ् :
(क) मानवअधिकारके उल्लङ्घन ओ दुरुत्साहन रोक्ना सम्बन्धमे छानबिन ओ अनुसन्धान कर्ना,
(ख) नेपाल सरकार अन्तर्गतके निकाय, कारागार वा कौनो संस्थाके भ्रमण, निरीक्षण, अवलोकन कर्ना ओ मानवअधिकारके संरक्षणके लाग ओइसिन संस्थाके काम कारबाही, भौतिक सुविधा आदिके सम्बन्धमे सुझाव देना,
(ग) मानवअधिकारके प्रचलनके लाग संविधान तथा प्रचलित औरे कानुनसे देगिल संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाके प्रभावकारी कार्यान्वयनके लाग आवश्यक सिफारिस कर्ना,
(घ) मानवअधिकार स्थितिके अनुगमन कैके प्रतिवेदन सार्वजनिक कर्ना तथा सम्बद्ध पक्षहे मानवअधिकारके स्थिति सुधारके लाग सुझाव देना ।

१६. आयोग मानव अधिकारके सम्बर्द्धन सम्बन्धी कैसिन काम करथ् ?

उत्तर : आयोग मानव अधिकारके सम्बर्द्धन सम्बन्धी निम्नानुसारके काम करथ्:

क) मानवअधिकार सम्बर्द्धनके लाग तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन, आदि सञ्चालन कर्ना,

ख) सक्कु प्रकारके सञ्चारमाध्यमके प्रयोग करके स्थानीय तहसम मानव अधिकार सचेतना अभिवृद्धि कर्ना,

ग) मानव अधिकारके तमाम विषयमे जानकारी देना पुस्तक(पुस्तिका, पत्रिका, पोष्टा आदि प्रकाशन कर्ना,

घ) औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीमार्फत् मानवअधिकार शिक्षाके प्रचारप्रसार कर्ना,

ङ) मानव अधिकारके संरक्षण सम्बन्धमे विद्यमान कानुनी प्रत्याभूति बारेमे लक्षित समुदायहे अवगत तथा सचेत करैना,

च) मानव अधिकार सम्बन्धी गैरसरकारी संस्थनके प्रयासहे प्रोत्साहित कर्ना,

छ) मुलुकके विद्यमान मानवअधिकारके स्थितिके बारेमे नियमित समीक्षा कर्ना,
ज) मानव अधिकारके प्रवर्द्धनके लाग आवश्यक र उचित मानगिल आवश्यक औरे कामफे कर्ना ।

१७. मानव अधिकारके उल्लङ्घन हुइलसे कहाँ ओ के उजुरी दिहे सेकी ? उजुरी देहलक् कारण कानुन बमोजिम मुद्दा चलैनामे बाधा पुगथ् कि नै पुगथ् ?

मानव अधिकार उल्लङ्घन हुइलसे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगके कौनोफे कार्यालयमे उजुरी करे सेकजाईथ् । ओइसिन उजुरी कर्लसे पीडित मनै अपनहँ वा ओकर तरफसे कोई उजुरी दिहे सेकथ् । उजुरी देलसे कौनो दस्तुर नैलागथ् । उजुरी देहलक् कारण कानुन बमोजिम मुद्दा चलैनामे कौनो बाधा नैपरथ् ।

१८. आयोगमे मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी कैसिक ओ कौन कौन माध्यमसे करे सेकजाईथ ?

उत्तर : उजुरी करुइया मनै अपनहँ उपस्थित होके वा पीडितके तरफसे कोई लिखित वा मौखिक निवेदन देके, आयोगमे मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी करे सेकजाईथ् । ओइसिन उजुरी कर्लसे निम्न माध्यमके प्रयोग करे सेकजाईथ् :

(क) लिखित वा मौखिक निवेदनसे
(ख) टेलिफोन मार्फत्,
(ग) हुलाक, द्रुत डाँकसेवा, आकाशवाणी (टेलिग्राम), टेलिफ्याक्स, टेलेक्स, फ्याक्स, इ-फ्याक्स, इमेल वा लिखित अभिलेख राखे सेकजिना औरे दूरसञ्चारके माध्यममार्फत् ।

१९. आयोगमे मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी देलसे उजुरकर्ता का(का बात खुलाई परथ् ?

उत्तर :उजुरी देलसे उजुरी कर्ता निम्न बात खुलाई परथ :

(क) उजुरी करुइया व्यक्तिके नाम, थर ओ ठेगाना,
(ख) कौनो संस्थाके तरफसे उजुरी पर्लसे ऊ संस्थाके विवरण,
(ग) उजुरीके विषय,
(घ) उजुरी करेपर्ना कारण,
(ङ) उजुरीके सङ्क्षिप्त व्यहोरा,
(च) उजुरीहे समर्थन वा पुष्टि कर्ना कौनो प्रमाण,
(छ) उजुरकर्तासे माग कैगिल उपचारके विवरण,
(ज) उजुरीके विषयमे औरेत्र कौनो उजुरी कर्लसे ओकर विवरण,

(झ) औरे प्रासङ्गिक बात ।

२०. अत्यन्त जरुरी विषयके उजुरी किही मान जाइथ् ?

उत्तर : देहायके अवस्थाके मानव अधिकारके उल्लङ्घन/हनन् वा ओकर दुरुत्साहनके विषयहे अत्यन्त जरुरी विषय मानजाइ :

(क) केक्रो हत्या वा मृत्यु हुइल वा हत्या वा मृत्यु हुइना सम्भावना रहल,
(ख) गम्भीर यातना दिहल,
(ग) मानसिक रुपले विक्षिप्त हुइल,
(घ) कौनो समूह वा सम्प्रदाय नै पीडित हुइल,
(ङ) बेपत्ता पारगिल वा पर्ना सम्भावना रहल,
(च) महिला उपर हुइना यौन दुर्व्यवहार हुइल,
(छ) बालबालिका, अपा□ता हुइल मनै तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगके सम्बन्धित उजुरी,
(ज) तत्काल ओइसिन काम नै रोक्लसे मानव अधिकारके गम्भीर उलङ्घन वा मानवीय क्षति हुई सेक्ना सम्भावना रहल ।

२१. कैसिन कैसिन मानव अधिकार उल्लङ्घन ठहर हुइलसे क्षतिपूर्ति देहना व्यवस्था बा ?

उत्तर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजुरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण नियमावली, २०६९ अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारणके आधार : आयोगसे नियम १८ (२) बमोजिम पीडितहे क्षतिपूर्ति भरैना निर्णय/सिफारिस कर्लसे देहायके बातहे समेत आधार माने पर्ना बा ।

(क) पीडितहे हुइल शारीरिक घाउ चोट ओ वास्तविक उपचार खर्चके अवस्था,
(ख) मानसिक पीडा/यातना,
(ग) सामाजिक मर्यादा,
(घ) पीडितके शारीरिक, मानसिक ओ आर्थिक अवस्था,
(ङ) पीडकके चरित्र,
(च) मानव अधिकार उल्लङ्घनके घटनामे यिहीसेआघे संलग्न रहल नैरहल,
(छ) पीडकके आर्थिक अवस्था

२२. मानव अधिकार उल्लङ्घन हुइल ठहर हुइलसे क्षतिपूर्तिके लाग आयोग का करथ् ?

उत्तर : आयोगसे मानव अधिकार उल्लङ्घन हुइल ठहर हुइलसे क्षतिपूर्ति देहुवइना सम्बन्धित निकायहे लिखके पठैना व्यवस्था बा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगके (उजुरी, कारवाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ मे क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था बा ।

२३. मृत्यु हुइल ठहर हुइलसे आयोगसे कैसिन क्षतिपूर्तिके लाग सिफारिस हुइथ् ?
उत्तर : मृत्यु हुइल ठहर हुइलसे आयोगसे क्षतिपूर्ति निर्धारण कर्ना आधारः मानव अधिकार उल्लङ्घनके कारणसे केत्रो मृत्यु हुइलसे मृतकके परिवारहे क्षतिपूर्ति भरैना निर्णय-सिफारिस कर्लसे देहायके बातहे समेत आधार माने परथ् :

- मृतकके उमेर ओ निजके अर्थोपार्जन करे सेक्ना क्षमता,
- मृतकसँगे आश्रित रहल परिवारके संख्या ओ निज हुक्नके जीविकोपार्जनके निमित्त आवश्यक पर्ना न्युनतम खर्च,
- मृतकके नाबालक छावा छाइनके संख्या तथा निजहुक्नके पालन पोषण तथा ओइनके उच्च माध्यमिक तहसमके पढाइ खर्च,
- मृतकके थरुवा वा जनेवाके उमेर, शारीरिक अवस्था तथा जीविकोपार्जनके माध्यम,
- मृतकके मृत्यु हुइनासे आघे निजहे शारीरिक वा मानसिक यातना देहल वा नैदेहल,
- मृत्यु हुइनासे पहिले मानव अधिकार उल्लङ्घन हुइल कारणसे हुइल उपचार खर्चके रकम,
- मृतकके दाहसंस्कार तथा किरिया खर्च ।

२४. यातना देहल ठहर हुइलसे आयीगसे कैसिन कैसिन क्षतिपूर्तिके सिफारिस हुइथ् ?

उत्तर : यातना देहल ठहर हुइलसे क्षतिपूर्ति निर्धारण कर्ना आधारः यातना देहलकमे क्षतिपूर्ति भरैना निर्णय/सिफारिस कर्लसे देहायके बातहे समेत आधार लेहे परथ् :

- पीडितहे परे गैल शारीरिक ओ मानसिक पीडाके मात्रा ओ ओकर गम्भीरता,
- शारीरिक वा मानसिक क्षतिके अवस्था ओ ऊ क्षतिके कारणसे पीडितके आय आर्जन करेसेक्ना क्षमतामे हुइल ह्रास,
- उपचार हुई नैसेक्ना किसिमके शारीरिक वा मानसिक क्षति होके कौनो व्यवसाय करे नैसेक्ना हुइलसे पीडित व्यक्तिके उमेर ओ निजके जीविकोपार्जनके माध्यम ओ पारिवारिक दायित्व,
- उपचार हुईसेक्ना क्षति हुइलसे उपचार कराईबेर लागल वा उपचार कराइबेर लग्ना अनुमानित खर्च,
- उपचार हुइसेक्ना किसिमके क्षति हुइलकमे उपचार करैना लग्ना समय,
- मने आयीगसे औषधोपचारके लाग लागल खर्च छुट्टे भरैनाके साथे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुइसेक्ना सजाय समेतके लाग सिफारिस करे सेकी ।

२५. गैर कानुनी थुनामे राखल वा बेपत्ता पर्लसे आयोग कैसिन क्षतिपूर्ति निर्धारणके लाग सिफारिस करथ् ?

उत्तर : गैर कानुनी थुनामे राखल वा बेपत्ता पर्लक्मे क्षतिपूर्ति निर्धारण कर्ना आधारः गैर कानुनी रुपमे थुनामे राखल वा बलपूर्वक बेपत्ता पारल विषयमे निर्णय/सिफारिस कर्लसे

देहायके बातहे समेत आधार बनाई परथः(

- गैर कानुनी थुनामे राखल अवस्था,
- गैर कानुनी थुनामे रख्लसे पीडितउपर कैगिल व्यवहार,
- गैर कानुनी थुनामे राखल अवधि,
- गैर कानुनी थुनाके कारण पीडितहे परेगैल शारीरिक वा मानसिक पीडा,
- गैर कानुनी थुनामे रख्लसे पीडितहे परे गैल आर्थिक नोक्सानी वा मानव अधिकारके उल्लङ्घन वा ओकर दुरुपयीग कैके किहुहे बेपत्ता पारल सम्बन्धमे क्षतिपूर्ति निर्धारण करे पर्लसे आयोगसे छ महिना समके प्रत्येक दिनके ५०० रुपैया ओ छ महिनासे ढिउर अवधिके रलसे रु. ३,००००००((तिन लाख) रुपैयाँ सम क्षतिपूर्ति निर्धारण करे सेकी ।

२६. भेदभाव कैके मानव अधिकार उल्लङ्घन कर्लसे आयोगहे कैसिन क्षतिपूर्तिके निर्धारण कर्ना आधार बा ?

उत्तर : किहुहे जात, जाति, धर्म, वर्ण लिङ्ग, राजनैतिक अवस्था, उत्पत्ति, बसोवासके क्षेत्रके आधार वा अस्ते औरे कौनो भेदभाव कैके वा कानुनसे नै कौनो पदमे काम कर्ना कौनो खास शारीरिक वा बौद्धिक यीग्यता आवश्यक हुइना गरी तोकल वा कामके प्रकृति अनुसार कौनो खास किसिमके शारीरिक अवस्थाके आधारमे रोजगारी दिहे इन्कार कर्ती भेदभाव कैके मानव अधिकार उल्लङ्घन करल विषयमे निर्णय/सिफारिस करेबेर देहायके बातहे समेत आधार बनाइ पर्ना बा ।

- भेदभाव कैगिल अवस्था ओ ओकर प्रकृति,
- भेदभावपूर्ण व्यवहार करल कारणले सम्बन्धित व्यक्तिमे परल मानसिक पीडा ओ असर,
- रोजगारी देना सम्बन्धमे भेदभावपूर्ण व्यवहार कर्लक्मे निज व्यक्ति रोजगारी पैलसे उहीसे पाइसेक्ना सम्भावित अर्थोपार्जन,
- उत्पत्ति, बसोवासके क्षेत्र वा आधार लगायतके सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपमे भेदभावपूर्ण व्यवहार हुइलसे ओइसिन व्यवहारसे समाजमे परेसेक्ना सम्भावित परिणाम,
- धार्मिक वा राजनैतिक आस्थाके कारणले भेदभावपूर्ण व्यवहार कैगिलसे ओइसिन व्यवहारसे समाजमे परेसेक्ना परिणाम ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार

२७. नागरिक ओ राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र कलसे का बुझ्थी ? नेपाल यिहीहे कहिया अनुमोदन कर्ल रहे ?

उत्तर : कौनो राष्टूके नागरिक हुइल हैसियतसे मनै उपभोग करे पैना नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहे संरक्षण करकलाग सन् १९६६ मे संयुक्त राष्ट्रसङ्घसे बनागिल प्रतिज्ञापत्रहे नै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र कहिजाइथ् । यी प्रतिज्ञापत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभासे सन् १९६६ डिसेम्बर १६ मे पारित होके सन् १९७६ मार्च २३ से लागु हुइल हो । यम्ने ५३ थो धारा बा । नेपाल यी प्रतिज्ञापत्रहे सन् १९९१ मे १४ मे अनुमोदन कर्ले रहे ।

२८. यी प्रतिज्ञापत्र नागरिक हुक्रनहे कैसिन अधिकार देले बा ?

उत्तर : यी प्रतिज्ञापत्र नागरिक हुक्रनहे देहल अधिकार निम्नप्रकार बा :

(क) आत्मनिर्णयके अधिकार, धारा-१,
(ख) बाँचेपैना अधिकार, धारा-६,
(ग) क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धके अधिकार, धारा-७,
(घ) दासत्व वा बलपूर्वकके श्रमविरुद्धके अधिकार, धारा-८,
(ङ) करारीय दायित्व पूरा नैकर्लकमे कैदमे नैरख्ना अधिकार, धारा-११,
(च) स्वतन्त्र रूपमे आवतजावत करेपैना अधिकार, धारा-१२,
(छ) कानुनके आघे समानता कैजिना अधिकार, धारा- १४,
(ज) कानुनके आघे व्यक्तिके रूपमे मान्यता पैना अधिकार, धारा-१६,
(झ) विचार, सद्विवेक तथा धर्मके स्वतन्त्रताके अधिकार, धारा-१८,
(ञ) गोपनीयताके अधिकार, धारा-१७,
(ट) बिना हस्तक्षेप विचार राखेपैना अधिकार (विचार ओ अभिव्यक्तिके अधिकार),

धारा–१९,

(ठ) शान्तिपूर्वक भेला हुइना अधिकार, धारा–२०,

(ड) आपन हितके संरक्षणाके लाग ट्रेड युनियन खोलेपैना वा ओम्ने सम्मेलित हुइना अधिकार, धारा–२२,

(ढ) भोज ओ परिवार शुरुकर्ना अधिकार, धारा–२३,

(ण) बालबच्चा बिना भेदभाव आवश्यक संरक्षण पैना अधिकार, धारा–२४ ।

२९. यी प्रतिज्ञापत्र जीवन सम्बन्धी अधिकारहे कैसिक सुनिश्चित कर्ले बा ?

उत्तर : यी प्रतिज्ञापत्रके धारा ६ जीवन सम्बन्धी अधिकारहे ऐसिक सुनिश्चित कर्ले बा :

(क) प्रत्येक व्यक्तिनहे जीवनके अधिकार बा । कानुनसे यी अधिकारके संरक्षण कैजिने बा । स्वेच्छाचारी रूपले केत्रोफे जीवनहरण नैकैजाई ।

(ख) मृत्युदण्डके उन्मूलन नैकरल देशमे गम्भीर अपराधमे अपराध करल समयमे लागु रहल कानून अनुसार ओ यी प्रतिज्ञापत्रके व्यवस्था तथा आमहत्याके अपराधके रोकथाम तथा सजाय सम्बन्धी महासन्धिके व्यवस्था विपरीत नैहुइना मेरके मृत्युदण्ड देहे सेकजाई । सक्षम अदालतसे कैगिल अन्तिम निर्णयअनुसार माग हुइल दण्ड कार्यान्वयन करे सेकजाई ।

(ग) मृत्युदण्डके सजाय पाइल कौनो फे व्यक्तिहे सजायसे माफी वा दण्ड कटौतीके माग कर्ना अधिकार रहना बा । सक्कु मुद्दामे माफी देना, क्षमादान देना वा मृत्युदण्डके सजायहे कम करे सेकजाई ।

(घ) १८ वरष तरेक व्यक्तिसे कैगिल अपराधमे मृत्युदण्ड नैदेजाई तथा गर्भवती महिलाउपर ऐसिन दण्ड कार्यान्वयन नैहुई ।

३०. यी प्रतिज्ञापत्र मनैनहे कैसिन स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाके अधिकार प्रदान कर्ले बा ?

उत्तर : यी प्रतिज्ञापत्रके धारा ९ व्यक्तिहे स्वतन्त्रता ओ सुरक्षाके निम्न अधिकार प्रदान कर्ले बा–

(क) किहुहे फे स्वेच्छाचारी रूपसे पक्राउ कर्ना वा थुनामे राखे नैपैना हो । कानुनसे निर्धारित आधारमे वा कार्यविधि बमोजिम बाहेक केत्रो वैयक्तिक स्वतन्त्रताके अपहरण नैकैजाई ।

(ख) पक्राउ कैगिल व्यक्तिनहे पक्राउ कर्ना समयमे पक्राउ करल कारणाके जानकारी देहेपर्ना बा ओ यथाशीघ्र निजविरुद्धके अभियोगबारे फे सूचित करेपर्ना बा ।

(ग) कौनो फौजदारी अभियोगमे पक्राउ कैगिल वा थुनल कौनो फे व्यक्तिहे न्यायाधीश वा कानुनसे न्यायिक शक्ति प्रयोग करेपर्ना अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष तुरुन्त लानेपर्ना बा । ओइसिन व्यक्तिनहे उचित समयभित्रे सुनुवाइ करेपैना वा छुट्कारा पैना अधिकार रही । सुनुवाइके अवसरके अग्रा लागल व्यक्तिहे थुन्ना सामान्य नियम नैरही मने निजके रिहाइ भर न्यायिक कारबाहीके औरे कौनोफे चरणके सुनुवाइमे

उपस्थित हुइना अवस्था उत्पन्न हुइलसे फैसला कार्यान्वयन करकलाग जमानत धरौटीके अधीनमे रहेसेकी ।

(घ) पक्राउ वा थुनासे स्वतन्त्रता अपहरण कैगिल कौनोफे व्यक्ति कौनो अदालत समक्ष कारबाही थालनी करे पाई ताकि ऊ अदालत बिलम्ब नैकरके निजके थुनाके वैधताके सम्बन्धमे निर्णय कर्ना तथा थुन्ना काम वैधानिक नै हुइलसे निजहे रिहा कर्ना आदेश देहे सेकी ।

(ङ) गैरकानुनी पक्राउ वा थुनासे पीडित रहल कौनोफे मनैनहे उचित क्षतिपूर्ति पैना अधिकार रही ।

३१. यी प्रतिज्ञापत्र अनुसार प्रत्येक सम्प्रदायहे आपन सम्प्रदायके अस्तित्व कायम राखकलाग कैसिन अधिकार प्राप्त बा ?

उत्तर : यी प्रतिज्ञापत्र अनुसार प्रत्येक सम्प्रदायहे आपन सम्प्रदायके अस्तित्व कायम राखकलाग धार्मिक स्थल ओ धार्मिक गुठीके सञ्चालन ओ संरक्षण करेपैना अधिकार बा ।

३२. यी प्रतिज्ञापत्र अनुसार अल्पसंख्यक हुक्नके भाषा, लिपि ओ संस्कृतिके संरक्षण तथा सम्बर्द्धनके सम्बन्धमे कैसनि अधिकार बा ?

उत्तर : यी प्रतिज्ञापत्रके धारा २७ अनुसार अल्पसङ्ख्यक समुदायहे फे औरे सरह आपन भाषा, लिपि ओ संस्कृतिके संरक्षण तथा सम्बर्द्धन करे पैना अधिकार बा । साथे, ओइनहे सनातनसे चलल आपन धर्मके अवलम्बन ओ अभ्यास करेपैना स्वतन्त्रता बा ।

आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार

३३. आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र कलसे का बुझ्क जाइथ् ? नेपाल यी प्रतिज्ञापत्रहे कहिया अनुमोदन कर्ले रहे ?

उत्तर : मानवजाति उपभोग करेपैना आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारके संरक्षण करकलाग बनागिल प्रतिज्ञापत्रहे आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र कहिजाइथ् । यी प्रतिज्ञापत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घके महासभा सन् १९६६ डिसेम्बर १६ मे पारित कैके सन् १९७६ जनवरी ३ से लागु हुइल हो । यम्ने ३१ धारा बा । यी प्रतिज्ञापत्रहे नेपाल सन् १९९१ मे १४ मे अनुमोदन कर्ले रहे ।

३४. नागरिकहे कैसिन अधिकार प्रदान कर्ले बा ?

उत्तर : यी प्रतिज्ञापत्रसे नागरिक हुक्रन देहल अधिकार निम्न बातैं :

(क) आत्मनिर्णयके अधिकार, धारा- १,
(ख) महिला ओ पुरुषके समान अधिकार, धारा- ३,
(ग) काम कर्ना अधिकार, धारा- ६,
(घ) सङ्गठन वा ट्रेड युनियन खोल्ना अधिकार, धारा- ८ (१) क,
(ङ) हड्ताल कर्ना अधिकार, धारा- ८(१) घ,
च) सामाजिक सुरक्षाके अधिकार, धारा- ९,
(छ) विवाह तथा परिवारके अधिकार, धारा- १० (१),
(ज) मातृत्व संरक्षणके अधिकार, धारा- १० (२),
(झ) आर्थिक, सामाजिक शोषणसे सुरक्षा पैना अधिकार धारा (१० (३),

(ञ) खाना, कपरा ओ आबासके अधिकार, धारा- ११ (१),

(ट) भोकसे मुक्त हुइना अधिकार, धारा- ११ (२),

(ठ) स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, धारा- १२ (१),

(ड) शिक्षासम्बन्धी अधिकार, धारा-१३ (१) ।

३५. राज्यसे का(कैसिन दायित्व निर्वाह हुइना व्यवस्था बा ?

उत्तर : यी प्रतिज्ञापत्र अनुसार राज्यसे निम्न दायित्व निर्वाह हुई परथ् :

(क) परिवार स्थापनाके लाग यिहीहे सुरक्षा तथा सहायता दिहेपर्ना, धारा- १० (१),

(ख) बच्चा जन्मनासे आघे ओ पाछे दाई (आमा) हुक्रन विशेष संरक्षण दिहेपर्ना, धारा- १०(२),

(ग) पितृत्व वा औरे अवस्थाके कारणसे कौनो भेदभाव बिना सक्कु बालबच्चा तथा युवाहुक्रनके पक्षमे संरक्षण एवम् सहायताके विशेष उपाय अपनाइ पर्ना, (१०(३),

(घ) प्रत्येक व्यक्तिनके पर्याप्त भोजन, लुग्गा तथा आवासके अधिकार प्राप्ति सुनिश्चित कर्ना उपयुक्त कदम चालेपर्ना, धारा- ११(१),

(ङ) हरेक व्यक्तिनके शारीरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्यके उच्चतम स्तरके सेवा उपभोग कर्ना अधिकारके पूर्ण प्राप्ति करकलाग चालेपर्ना आवश्यक कदम, धारा- १२ (२) । यी अन्तर्गत

- बच्चा मृत्युदर घटैना तथा बालस्वास्थ्यके व्यवस्था करेपर्ना,
- वातावरणीय तथा औद्योगिक सरसफाइके सक्कु पक्षके सुधार करेपर्ना,
- प्रकोप, महामारी तथा औरे रोगके रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण करेपर्ना,
- बिमार हुइल अवस्थामे सक्कुहुन चिकित्सागत सेवा तथा हेरचाह सुनिश्चित कर्ना अवस्थाके सिर्जना करेपर्ना ।

शिक्षाके अधिकार पूर्ण प्राप्ति करकलाग चालेपर्ना आवश्यक कदम, धारा- १३(२) । यी अन्तर्गत

- सबकेलाग प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य ओ निःशुल्क हुइपर्ना,
- माध्यमिक तहमे प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासमेत संलग्न करके ओम्ने सबके पहुँच पुगाई पर्ना,
- उच्च शिक्षामे समान रूपसे सबके पहुँच पुगेपर्ना,
- प्राथमिक शिक्षा पूरा नैकरल मनैनहे शैक्षिक कार्यक्रममे सहभागी करैना,
- सक्कु तहमे पाठशाला प्रणालीके विकास, छात्रवृत्तिके पर्याप्त व्यवस्था तथा शिक्षण कर्मचारीके भौतिक अवस्थाहे निरन्तर सुधार करेपर्ना ।

३६. व्यक्तिके रोजगारी ओ पारिश्रमिकसम्बन्धी कैसिन अधिकार उल्लेख कैगिल बा ?

उत्तर : यी प्रतिज्ञापत्रके धारा ६ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिनहे स्वेच्छासे रोजगारी रोजेसेक्ना ओ काम करकलाग उचित ओ अनुकूल परिस्थिति प्राप्त कर्ना अधिकार बा । रस्तके, धारा ७ (क) अनुसार प्रत्येक व्यक्तिनहे बिना भेदभाव समान कामके लाग समान पारिश्रमिक पैना अधिकारके व्यवस्था बा ।

३७. दाई ओ बच्चाके लाग कौनो विशेष अधिकार बा ?

उत्तर : बा, यी प्रतिज्ञापत्रके धारा १० (२) अनुसार दाई ओ बच्चाहे विशेष हेरचाह ओ सहायता पैना अधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख कैगिल बा । सुत्केरी हुइनासे आघे ओ पाछे रोजगार महिलाहुक्के तलब सुविधासहितके उचित बिदा पाइ परथ् ।

३८. सामाजिक अधिकारभित्तर का कैसिन अधिकार पर्थै ?

उत्तर : सामजिक अधिकारभित्तर देहाय बमोजिमके अधिकार पर्थै :

क) सामाजिक सुरक्षाके अधिकार,

ख) खाना, कपरा ओ आवासके अधिकार,

ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार,

घ) शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ।

जातीय भेदभाव विरूद्धक अधिकार

३९. नेपालमे जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धमे कैसिन व्यवस्था कैगिल बा ?

उत्तर : नेपालमे जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर ओ सजाय) ऐन २०६८, संसदसे मिति २०६८।२।१० मे यी ऐन पारित कैगिल बा । जेम्ने प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज ओ औरे कौनो नाममे जात जाति, वंश समुदाय वा पेसाके आधारमे छुवाछुत तथा भेदभाव नैहुइना अवस्था सिर्जना करके प्रत्येक व्यक्तिनके समानता, स्वतन्त्रता ओ सम्मानपूर्वक बाँचे पैना अधिकारके संरक्षण कैके ऐसिन मानवता विरोधी भेदभावजन्य कामहे दण्डनीय वनाइल ओ पीडितहे क्षतिपूर्तिके व्यवस्था कैगिल बा ।

४०. सक्कु किसिमके जातीय भेदभाव उन्मूलन कर्ना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि का हो ? नेपाल यी महासन्धिहे कहिया अनुमोदन कर्ले रहे ?

उत्तर : सक्कु किसिमके जातीय भेदभाव उन्मूलन कर्ना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ कलक सक्कु किसिमके जातीय भेदभाव उन्मूलन कर्ना तथा जातीय भेदभावके कारण पीडित हुइल व्यक्ति वा समूहके अधिकारके संरक्षण ओ सम्बर्द्धन करकलाग बनल अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हो । यी महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घके महासभासे सन् १९६५ डिसेम्बर २१ मे पारित होके सन् १९६९ जनवरी ४ से लागू हुइल हो । यम्ने २५ थो धारा बातैं । नेपाल यी महासन्धिहे सन् १९७१ जनवरी ३० मे अनुमोदन कर्ले रहे ।

४१.यी महासन्धिमे जातीय भेदभावहे कैसिक परिभाषित कैगिल बा ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा १ 'जातीय भेदभाव कलक् राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनमे या कौनो क्षेत्रमे जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमे आधारित कौनो फे भेदभाव, बहिष्कार, प्रतिबन्ध वा प्राथमिकताहे बुझाइथ्' कहिके परिभाषित कर्ले बा । मने, यी किसिमके जातीय विभेद, निषेध वा प्रतिबन्ध पक्षराष्ट्रके नागरिक ओ गैर नागरिकबीच समान रूपसे लागु नै हुइथ् ।

४२. यी महासन्धि जातीय विभेदविरुद्ध का(कैसिन अधिकार प्रदान कर्ले बा ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा-५ जातीय विभेद विरुद्धमे देहाय बमोजिमके अधिकार देले बा :

(क) न्यायाधीकरण (ट्राइबुनल) तथा न्याय प्रदान कर्ना औरे सक्कु अड्गके आघे समान व्यवहार पैना अधिकार,

(ख) कौनो व्यक्ति उपर कौनो सरकारी अधिकारी, समूह वा संस्थासे हुइना हिंसा वा शारीरिक क्षतिविरुद्ध राज्यसे पीडित व्यक्ति संरक्षण पैना अधिकार,

(ग) राजनीतिक अधिकार खासकैके सर्वव्यापी तथा समान मताधिकारके आधारमे निर्वाचनमे भाग लेना (मतदान कर्ना तथा उम्मेदवार बन्ना अधिकार, सरकार तथा कौनो फे तहमे सार्वजनिक मामिलाके सञ्चालनमे भाग लेना अधिकार तथा सार्वजनिक सेवामे समान पहुँचके अधिकार,

(घ) औरे नागरिक अधिकार :

१) राष्ट्रके सीमानाभित्तर आवतजावत तथा बसोबास कर्ना स्वतन्त्रताके अधिकार,

२) आपन देश लगायत कौनो देशसे बाहर निक्रना ओ आपन देशमे घुम्ना अधिकार,

३) राष्ट्रियताको अधिकार,

४) विवाह कर्ना तथा वरवधू छन्ना अधिकार,

५) अक्केली वा औरेक्सँग मिलके सम्पत्ति रख्ना अधिकार,

६) पुख्यौंली सम्पत्ति प्राप्त कर्ना अधिकार,

७) विचार, सद्विवेक ओ धर्मके स्वतन्त्रताके अधिकार,

८) विचार ओ अभिव्यक्तिके स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार,

९) शान्तिपूर्ण भेला हुइना तथा सङ्गठन कर्ना स्वतन्त्रताके अधिकार ।

(ङ) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार :

१) काम कर्ना, स्वेच्छासे रोजगारी रोज्ना, कामके उचित ओ अनुकूल परिस्थिति प्राप्त कर्ना, बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षण पैना, समान कामके लाग समान

तलब पैना, उचित पारिश्रमिक पैना अधिकार,

२) ट्रेड युनियन स्थापना कर्ना तथा ओम्ने सम्मिलित हुइना अधिकार,

३) आवासके अधिकार,

४) सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधोपचार, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सेवा प्राप्त कर्ना अधिकार,

५) शिक्षा तथा तालिम (प्रशिक्षण) के अधिकार,

६) सांस्कृतिक क्रियाकलापमे समान सहभागिताके अधिकार ।

(च) यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, नाचघर तथा उद्यान जैसिन सार्वजनिक स्थान वा सेवामे पहुँचके अधिकार ।

४३. कौनो व्यक्ति वा समूहउपर जातीयताके आधारमे भेदभाव हुइलसे पीडित पक्षके लाग यी महासन्धि का(कैसिन व्यवस्था कर्ले बा ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा ६ मे जातीय भेदभावके कारणले हुइल कौनो फे क्षतिके लाग उपयुक्त ओ उचित क्षतिपूर्ति प्रदान कर्ना सम्बन्धमे आवश्यक काम करेपर्ना व्यवस्था कर्ले बा ।

महिला अधिकार

४४. महिलाविरुद्ध हुइना सक्कु किसिमके भेदभाव उन्मूलन कर्ना महासन्धि कलक् का बुझ्जाइथ ?

उत्तर : महिलाविरुद्ध हुइना सक्कु किसिमके भेदभाव उन्मूलन कर्ना महासन्धि महिलाके मानवअधिकार संरक्षण कर्ना प्रमुख महासन्धि हो । महिलाविरुद्ध हुइना भेदभाव उन्मूलन कर्ना एवम् महिला ओ पुरुषबीच समानता कायम कर्ना यी महासन्धिके मुख्य उद्देश्य रहल बा । यी महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घके महासभासे सन् १९७९ डिसेम्बर १८ मे पारित होके सन् १९८१ सेप्टेम्बर ३ से लागु हुइल हो । यी महासन्धिमे ३० थो धारा रहल बातैं । यी महासन्धिहे नेपाल सन् १९९१ अप्रिल २२ मे अनुमोदन कर्ले रहे ।

४५. महिला विरुद्धके भेदभावहे कैसिक परिभाषित कर्ले बा ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा १ अनुसार 'महिलाविरुद्धके भेदभाव कलक् राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा औरे कौनो फेविषयमे वैवाहिक स्थिति ज्या(जैसिन रहलसेफे लिङ्गके आधारमे हुइना कौनो फे भेदभाव, बहिष्कार वा प्रतिबन्धहे जनाइथ् कना परिभाषित कर्ले बा ।

४६. महिलनहे का-कैसिन अधिकार प्रदान कर्ले बा ?

उत्तर : यी महासन्धि महिलनहे प्रदान करल अधिकार निम्न बातैं :

क) बेचबिखन तथा वेश्यावृत्तिके लाग कैजिना यौन शोषण विरुद्धके अधिकार, धारा

६,

ख) सार्वजनिक ओ राजनीतिक जीवनमे सहभागिताके अधिकार, धारा-७,

ग) अन्तर्राष्ट्रिय तहमे सहभागी हुई पैना समान अधिकार, धारा-८,

घ) राष्ट्रियता सम्बन्धी अधिकार, धारा-९,

ङ) शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, धारा-१०,

च) रोजगारीके अधिकार, धारा-११,

छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, धारा-१२,

ज) आर्थिक तथा पारिवारिक लाभके अधिकार, धारा-१३,

झ) ग्रामीण महिलनहे विशेष अधिकार, धारा-१४,

ञ) कानुनी समानताके अधिकार, धारा-१५,

ट) विवाह तथा परिवारके अधिकार, धारा-१६

४७. महिलनहे सार्वजनिक ओ राजनीतिक जीवनमे सहभागिताके का-कैसिन अधिकार प्राप्त बा ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा-७ मे महिलनहे सार्वजनिक ओ राजनीतिक जीवनमे पुरुषसरह समान सहभागिताके अधिकार प्रदान कर्ले बा । यी अन्तर्गत निम्न अधिकार बातैं :

(क) प्रत्येक महिलनहे मत देहे पैना अधिकार,

(ख) सार्वजनिक रूपमे सार्वजनिक पद धारण कर्ना अधिकार,

(ग) नीति निर्माणमे सरिक हुइना अधिकार,

(घ) गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक सङ्गठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमे सहभागी हुइना अधिकार ।

४८. महिलनके राष्ट्रियता सम्बन्धमे कैसिन व्यवस्था कर्ले बा ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा ९ मे महिलनके राष्ट्रियताके सम्बन्धमे निम्न व्यवस्था कर्ले बा :

(क) पुरुषसरह राष्ट्रियता प्राप्त कर्ना, परिवर्तन कर्ना वा धारण कर्ना समान अधिकार,

(ख) विदेशीकेसँग भोज हुइल कारणसे वा थरुवा (पति) राष्ट्रियता परिवर्तन करल कारणसे जनेवा (पत्नी) के राष्ट्रियता स्वतः परिवर्तन नै हुइना अधिकार,

(ग) पतिके राष्ट्रियता ज्या (जैसिन रलसेफे महिलनहे आपन इच्छा अनुसारके राष्ट्रियता धारण करे पैना अधिकार,

(घ) सन्तानहे राष्ट्रियता दिलैना सम्बन्धमे पुरुषसरह महिलनहेफे समान अधिकार ।

४९. महिलनहे शिक्षा क्षेत्रमे कैसिन अधिकार प्रदान कर्ले बा ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा १० मे शिक्षा क्षेत्रमे महिलनहे फे पुरुष सरह निम्न अधिकार

प्रदान कर्ले बा :

(क) अध्ययन कर्ना ओ उपाधि पैना अधिकार,

(ख) सक्कु प्रकारके व्यावसायिक प्रशिक्षणके अधिकार,

(ग) समान भौतिक सुविधाके शैक्षिक अधिकार,

(घ) छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार,

(ङ) पढाइ छोड्ना छात्राहुक्नके सक्रिय रूपमे शैक्षिक कार्यक्रममे सहभागी हुई पैना अधिकार,

(च) खेलकुद तथा शारीरिक शिक्षामे भाग लिहे पैना समान अवसरके अधिकार,

(छ) परिवार नियोजन सम्बन्धी सूचना/सल्लाह एवम् परिवारके स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी पैना अधिकार

५०.महिलनहे रोजगारी सम्बन्धी कैसिन अधिकार प्रदान कर्ले बा ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा ११ मे महिलनहे फे पुरुष सरह रोजगारी सम्बन्धी अधिकार प्रदान कर्ले बा । ओस्तके, यिहे धारामे विवाह वा मातृत्वके आधारमे महिलाविरुद्ध हुइना भेदभाव विरुद्धके अधिकार समेत सुनिश्चित कर्ले बा । ऊ अधिकार निम्न बातैं :

(क) रोजगारीमे समान अवसरके अधिकार,

(ख) स्वतन्त्र रूपमे रोजगारी चयन करेपैना अधिकार,

(ग) सेवाके सर्त ओ सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार,

(घ) समान पारिश्रमिक तथा सुविधाके अधिकार,

(ङ) पूरा तलब सहितके प्रसूति बिदाके अधिकार,

(च) गर्भवती हुइल आधारमे पदसे हटाइ नैपैना अधिकार

(छ) बाल स्याहार सुविधा उपभोगके अधिकार,

(ज) गर्भवती महिलनहे जोखिमपूर्ण काममे लगाइ नै पैना अधिकार ।

५१. महिलनके स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारमे का-कैसिन व्यवस्था कर्ले बा ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा-१२ मे स्वास्थ्य क्षेत्रमे महिला उपर हुइना भेदभाव विरुद्ध निम्न अधिकार प्रदान कर्ले बा :

(क) महिलनहे परिवार नियोजनसे सम्बन्धित बात लगायत स्वास्थ्य ओ स्याहार सम्बन्धी सेवा बिना कौनो भेदभाव पुरुष सरह प्रदान करेपर्ना,

(ख) महिलनहे गर्भवती, प्रसूति ओ प्रसूति पश्चात्के समयमे चहना आवश्यक सेवा उपलब्ध काई पर्ना ।

(ग) गर्भवती तथा स्तनपानके समयमे महिलनहे पर्याप्त पोषण उपलब्ध करैना आवश्यक व्यवस्था करेपर्ना ।

५२. महिलनहे विवाह ओ परिवारके सम्बन्धमे का-का अधिकार प्राप्त

बा ?

उत्तर : महासन्धिके धारा १६ मे महिलनहे विवाह ओ परिवारके सम्बन्धमे देहाय बमोजिमके अधिकार प्रदान कर्ले बा :

(क) विवाह कर्ना अधिकार,

(ख) स्वतन्त्ररूपमे आपन जीवन संघरिया छाने पैना अधिकार,

(ग) सम्बन्ध विच्छेदके अधिकार,

(घ) सम्पत्तिमे थरुवा मेधरुवा दुनुहुनके समान अधिकार,

(ङ) सन्तान कत्रा जन्मैना, कहिया जन्मैना कना बात निर्धारण करे पैना अधिकार,

(च) सन्तानके संरक्षकत्व ग्रहण करे पैना अधिकार ।

५३.ग्रामीण महिलनहे का-कैसिन विशेष अधिकार प्रदान कर्ले बा ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा १४ मे ग्रामीण महिलनहे पुरुषसरह विकासमे सहभागी हुइक्लाग देहायके अधिकार प्रदान कर्ले बा :

(क) विकास योजनाके बिस्तृतीकरण ओ कार्यान्वयनके सक्कु तहमे भाग लिहे पैना अधिकार,

(ख) परिवार नियोजनके सूचना, सल्लाह ओ सेवा लगायत पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा पैना अधिकार,

(ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसे प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर्ना अधिकार,

(घ) औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम ओ शिक्षा प्राप्त कर्ना अधिकार,

(ङ) स्वरोजगारीके लाग स्वावलम्बन समूह तथा सहकारी संस्था गठन करे पैना अधिकार,

(च) समस्त सामुदायिक क्रियाकलापमे भाग लिहे पैना अधिकार,

(छ) आवास, सरसफाइ, विद्युत्, यातायात, खानेपानी तथा सञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था उपभोग करे पैना अधिकार ।

यातना विरूद्धके अधिकार

५४. 'यातना' कना शब्द का जनाइथ् ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा १ (१) अनुसार 'यातना' कना शब्द कौनो सार्वजनिक अधिकारी वा सार्वजनिक अधिकारीके हैसियतसे काम कर्ना कौनो व्यक्तिसे वा निजके सहमति वा मौन सहमतिसे कौनो व्यक्ति वा तेस्रो व्यक्तिसे जानकारी वा साबिती लेना वा तिस्रा व्यक्ति करल कहिके शङ्का करल कामके लाग दण्ड देना वा ऊ व्यक्ति वा तिस्रा व्यक्तिहे त्रास देखैना वा बलजती कर्ना जैसिन उद्देश्यके लाग वा कौनो किसिमके भेदभावमे आधारित कौनो कारणके लाग ऊ व्यक्तिहे जानाजान देहल शारीरिक वा मानसिक कठोर पीडा वा कष्ट देना कामहे जनाइथ् ।

५५. यातना तथा औरे क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धके महासन्धि कलक् का बुझाइथ् ?

उत्तरः कौनो फे व्यक्तिहे यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड देहे नै हुइना तथा ओइसिन क्रियाकलापसे ओइनके अधिकारके संरक्षण ओ सम्बर्द्धन कर्ना महासन्धिहे यातना तथा औरे क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धके महासन्धि कहिजाइथ् । यी महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घके महासभासे सन् १९८४ डिसेम्बर १० मे पारित होके सन् १९८७ जुन २६ से लागु हुइल हो । यी महासन्धिमे ३३ धारा बातैं । यी महासन्धिहे नेपाल सन् १९९१ मे १४ मे अनुमोदन करल हो ।

५६. का यातनासे लेहल बयानहे प्रमाणके रूप माने सेकजाई ?

उत्तरः यी महासन्धिके धारा १५ अनुसार यातनासे लेहल बयानहे प्रमाणके रूप माने नैसेकजाई ।

५७. यातनापीडितके क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अधिकारबारे का कहथ् ?

उत्तर : यातनाके कामसे पीडित व्यक्ति उचित तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करे सेकथ । यातनाके फलस्वरूप पीडित हुइल व्यक्तिके मृत्यु हुइलसे ओकर आश्रितहुक्के क्षतिपूर्ति पैना अधिकार बा । कानुन कार्यान्वयन कर्ना कर्मचारीहुक्के, निजामति वा सैनिक, चिकित्सा कर्मचारी, सार्वजनिक अधिकारी तथा कौनो प्रकारके पक्राउ, थुना वा कैदमे परल कौनो व्यक्तिके थुना, सोधपुछ वा उपचारमे संलग्न हुइना औरे व्यक्तिके तालिममे यातना निषेधसम्बन्धी शिक्षा तथा जानकारी समावेश करेपर्ना बातमे जोड देहथ् ।

बाल अधिकार

५८. बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि कलक् का हो ?

उत्तर : बालबच्चनके अधिकारके संरक्षण ओ सम्बर्द्धन कर्ना अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहे नै बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि कहिजाइथ् । यी महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घके महासभासे सन् १९८९ नोभेम्बर २० मे पारित होके सन् १९९० सेप्टेम्बर २ से लागु हुइल हो । यी महासन्धिमे ५४ थो धारा रहल बा । यी महासन्धिके धारा १८ अनुसार बालबालिकाके पालनपोषणके लाग प्राथमिक दायित्व दाई बाबनके रहथ् ओ यिहीहे राज्य फे सहयीग करे परथ् । नेपाल यी महासन्धिहे सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मे अनुमोदन कर्ले रहे ।

५९. बालबालिकनहे का–कैसिन अधिकार प्रदान कर्ले बा ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा १ मे बालबालिकासम्बन्धी कानुन पहिले नै बालिग हुइथ् कहिके तोकलमे बाहेक १८ वर्षसे कम उमेरके मनैनहे बालबालिका मानेपरथ कहिके परिभाषित कर्ले बा । यी महासन्धि बालबालिका हुक्नहे निम्न अधिकार प्रदान कर्ले बा:(

(क) नाम ओ राष्ट्रियताके अधिकार,
(ख) दाई बाबनसँग बसोबास कर्ना अधिकार,
(ग) पारिवारिक पुनर्मिलनके अधिकार,
(घ) बालबालिकाके विचार प्रकट करे पैना ओ विचारसे उचित मान्यता पैना अधिकार,
(ङ) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताके अधिकार,
(च) विचार, विवेक ओ धर्मसम्बन्धी स्वतन्त्रताके अधिकार,
(छ) सङ्गठन सम्बन्धी स्वतन्त्रताके अधिकार,
(ज) निजीपन संरक्षणके अधिकार,
(झ) उचित जानकारी प्राप्तिके अधिकार,

(ञ) अपाङ्ग बालबालिका हुक्नके अधिकार,
(ट) स्वास्थ्य ओ स्वास्थ्यसेवाके अधिकार,
(ठ) सामाजिक सुरक्षाके अधिकार,
(ड) शिक्षाके अधिकार,
(ढ) अल्पसङ्ख्यक वा आदिवासी जननतके बालबालिका पाइपर्ना अधिकार,
(ण) फुर्सद, आराम ओ सांस्कृतिक क्रियाकलाप करे पैना अधिकार,
(त) लागु पदार्थके दुरूपयोग सम्बन्धी अधिकार,
(थ) यौन शोषणसे संरक्षण पाइपर्ना अधिकार,
(द) औरे किसिमके शोषणसे सुरक्षित हुइना अधिकार ।

६०. बालबालिकाप्रति राज्यसे निर्वाह हुईपर्ना दायित्व का-का हो ?

उत्तरः यी महासन्धि अनुसार बालबालिकाप्रति राज्यसे निर्वाह करेपर्ना दायित्व निम्न बा :
(क) भेदभाव करे नै हुइना
(ख) आमाबाबु वा औरे जिम्मेवार मनै बेवास्ता कर्लसे पर्याप्त स्याहार करेपर्ना
(ग) अधिकारके कार्यान्वयन करेपर्ना
(घ) बाबुआमाके मार्गदर्शन ओ बालबालिकनके उदयोन्मुख क्षमता अभिवृद्धि करेपर्ना
(ङ) दीर्घजीवन ओ विकास करेपर्ना
(च) परिचय संरक्षण करेपर्ना
(छ) बाबुआमासे बिछोड हुइलसे संरक्षण दिहेपर्ना
(ज) बालबालिकाहुक्नके विदेशमे अवैध स्थानान्तरण वा अपहरणसम्बन्धी अधिकारके रक्षा करेपर्ना
(झ) बालबालिका हुक्नहे ज्ञानबर्द्धक जानकारी दिहेपर्ना
(ञ) दुर्व्यवहार ओ उपेक्षासे संरक्षण करेपर्ना
(ट) परिवारबिहीन बालबालिकनके संरक्षण करेपर्ना
(ठ) शरणार्थी बालबालिकनहे संरक्षण ओ सहयोग करेपर्ना
(ड) बाल मजदुरके संरक्षण करेपर्ना
(ढ) बेचबिखन, सौदाबाजी ओ अपहरण रोकथाम करेपर्ना
(ण) सामाजिक पुनर्स्थापना करेपर्ना
(त) उचित न्यायिक कारबाही करेपर्ना

६१. बालबालिकनसे हुइल अपराध सम्बन्धमे यी महासन्धि कैसिन व्यवस्था कर्ले बा ?

उत्तरः यी महासन्धिके धारा ३७ मे बालबलिका हुक्नके करल अपराधके सम्बन्धमे देहाय बमोजिमके व्यवस्था कर्ले बा :
(क) बालबालिकनहे यातना नैदेना तथा औरे क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार वा

सजाय नै कर्ना,

(ख) १८ वर्षसे कम उमेरके व्यक्तिनसे कैगिल कसुरके लाग मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावासके सजय नै देना,

(ग) बालबालिकनके कौनो फे स्वतन्त्रता अपहण नै कर्ना,

(घ) सक्षम ओ स्वतन्त्र अदालतसे उपचार पाइपर्ना ।

६२. बालबालिकनके शिक्षासम्बन्धी राज्यसे का-कैसिन व्यवस्था करे परी ?

उत्तरः यी महासन्धिके धारा २८ अनुसार राज्यसे बालबालिकनके शिक्षा सम्बन्धमे निम्न व्यवस्था करे परी :

(क) प्राथमिक शिक्षा सक्कुहुनहे अनिवार्य ओ निःशुल्क उपलब्ध करैना,

(ख) प्रत्येक बालबालिकनहे माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करैना ओ माध्यमिक शिक्षामे ओइनके पहुँच पुगैना,

(ग) क्षमताके आधारमे सक्कुहुनके लाग उपयुक्त साधनसे उच्च शिक्षा प्राप्त हुईसेक्ना बनैना,

(घ) सक्कु बालबालिकनहे शैक्षिक ओ व्यावसायिक जानकारी उपलब्ध करैना,

(ङ) विद्यालयमे नियमित हाजिरीहे प्रोत्साहित कर्ना ओ पढाइ परित्याग करुइयनके सङ्ख्या घटाइकलाग तमाम उपाय अपनैना ।

६३. सशस्त्र सङ्घर्षके समयमे बालबालिकन प्रति राज्यके कैसिन दायित्व रहथ् ?

उत्तर : यी महासन्धिके धारा ३८ अनुसार सशस्त्र सङ्घर्षके समयमे बालबालिकाप्रति राज्यके निम्नानुसारके दायित्व रहथ :

(क) अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनमे सशस्त्र सङ्घर्षके सम्बन्धमे राज्यसे बालबालिकनसँग सम्बन्धित व्यवस्थाके आदर कर्ना ओ करे लगैना,

(ख) १५ वर्ष नै पुगल बालबालिकनहे लडाईंमे प्रत्यक्ष भाग लिहे नै लगैना व्यवस्था करकलाग हरसम्भव उपाय अपनाइ पर्ना,

(ग) १५ वर्ष नैपुगल कौनो फे व्यक्तिनहे सशस्त्र सेनामे भर्ना कर्नासे रोक लगाइ पर्ना,

(घ) १५ वर्ष पुगल मने १८ वर्ष नै पुगल मनै मध्येसे भर्ना करेबेर बर्का हे प्राथमिकता दिहेपर्ना,

(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुसार सशस्त्र लडाईंसे गैरसैनिक नागरिकहे जोगैना आपन दायित्व हुइलक ओरसे सशस्त्र लडाईंसे प्रभावित बालबालिकनके संरक्षण ओ स्याहार कर्ना सम्बन्धमे आवस्यक ओ उपयुक्त कदम चालेपर्ना ।

आप्रवासी कामदारके अधिकार

६४.आप्रवासी कामदार भनेको को हो ? आप्रवासी कामदारहरू कति प्रकारका हुन्छन् ?

उत्तर : यी महासन्धि अनुसार विदेशमे तलब पैना काममे लगैना, लागल वा लगाइल ब्यक्तिनहे आप्रवासी कामदार कहिजाइथ् । यी महासन्धि आप्रवासी कामदारहुक्नहे आठ समूहमे विभाजन कर्ले छ :

१) सीमा क्षेत्रके कामदार,
२) विदेशी प्रतिष्ठानके कामदार,
३) मौसमी कामदार,
४) यात्रा सूचीके कामदार,
५) आयोजनामे आबद्ध कामदार,
६) सामूहिक कामदार,
७) विशेष रोजगारीके कामदार,
८) स्वरोजगार कामदार ।

६५. कैसिन व्यक्ति आप्रवासी कामदार नै हुइँथ् ?

उत्तरः यी महासन्धिके अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा निकायमे काम कर्ना व्यक्ति, कुटनीतिज्ञ, लगानीकर्ता, शरणार्थी ओ राज्यविहीन व्यक्ति, विद्यार्थी अथवा प्रशिक्षार्थी आप्रवासी कामदार नै हुइात् ।

६६. आप्रवासी कामदार तथा ओइनके परिवारके सदस्य हुक्रनके अधिकारके संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि का बुझाइथ् ?

उत्तर : आप्रवासी कामदार तथा ओइनके परिवारके सदस्यहुक्रनके मानवअधिकार संरक्षण करकलाग संयुक्त राष्ट्रसङ्घके महासभासे यी महासन्धिहे सन् १९९० डिसेम्बर १८ मे पारित कर्ले रहे । सन् २००३ जुलाइ १ से लागु हुइल हो । यम्ने ९३ थो धारा रहल बातैं । नेपाल यी सन्धिहे हालसम हस्ताक्षर तथा अनुमोदन नै कर्ले हो ।

६७. आप्रवासी कामदारनके का–कैसिन अधिकारहे सुनिश्चित कर्ले बा ?

उत्तर : यी महासन्धिहे अनुमोदन कर्ना हरेक राष्ट्र आप्रवासी कामदारबीच राष्ट्रियताके आधारमे भेदभाव नै कैना बातहे सुनिश्चित करे परथ् । ओस्तके यी महासन्धिके पक्षराष्ट्र आप्रवासी कामदार तथा ओइनके परिवारके सदस्यनहे समेत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उपलब्ध कराई परथ् । साथे, यी महासन्धि जातीय विभेद बिरुद्धके अधिकार, महिला अधिकार ओ बालअधिकारके सवालहे समेत विशेष ध्यान देके आप्रवासी कामदारके मानवअधिकारके संरक्षण कर्ना दायित्व पक्ष राष्ट्रहे तोक्ले बा ।

६८. आप्रवासी कामदार तथा ओइनके परिवारके सदस्यनके लाग का–कैसिन श्रमसम्बन्धी अधिकारके व्यवस्था कर्ले बा ?

उत्तरः अनिवार्य श्रमविरुद्ध संरक्षणके अधिकार, रोजगारी देना देशके नागरिक सरह न्यूनतम रोजगारीके सहुलियत ओ सुविधा प्राप्त कर्ना अधिकार, अतिरिक्त समयमे करल काम, समय, साप्ताहकि बिदा, तलबी बिदा, सुरक्षा, स्वास्थ्यके अधिकार आप्रवासी कामदार वा ओइनके परिवारके सदस्यनहे हुईपर्ना बा । ओइसिन बातमे रोजगारी देना देशके नागरिकसे सहुलियत नै हुइना गरी क्षतिपूर्ति पैना अधिकार आप्रवासी कामदारनहे हुइना बा । ओस्तके, आप्रवासी कामदार वा ओइनके परिवारके सदस्यनहे रोजगारी देना राष्ट्रके नागरिक सरह समानताके अधिकार ओ समाजिक सुरक्षाके अधिकार रहने बा । मने, कठोर श्रम सहितके कारावासके सजाय पाइल अवस्थामे ओइसिन अधिकार निलम्बित वा नियन्त्रित हुई सेक्ने बा ।

६९. का आप्रवासी कामदारहुक्रनहे ट्रेड युनियन ओ सङ्घ सस्थामे आबद्ध हुइना अधिकार बा ?

उत्तर : यी महासन्धि आप्रवासी कामदारनहे ट्रेड युनियन ओ सङ्घ संस्थामे आबद्ध हुइना तथा यकर बैठक ओ क्रियाकलापमे सहभागी हुइना अधिकार प्रदान कर्ले बा । रोजगारी देना देशमे ट्रेड युनियन ओ सङ्घ गठन करे पैना स्वतन्त्रता फे आप्रवासी कामदारनहे यी महासन्धि प्रदान कर्ले बा ।

७०.उत्पत्तिके राष्ट्र, रोजगारीके राष्ट्र ओ डगरामे पर्ना राष्ट्र कलक का बुझ्काइथ् ?

उत्तर :यी महासन्धिअनुसार उत्पत्तिके राष्ट्र कलक् आप्रवासी कामदार जौन देशके नागरिक हो, ओहे देशहे सम्झे परथ्। रोजगारीके राष्ट्र कलक् आप्रवासी कामदार कौनो पारिश्रमिक पैना काम कर्ती रहल, काम लगैना वा लगाइल राष्ट्र सम्झे परथ्। ओस्तके, डगरीमे पर्ना राष्ट्र कलक् उत्पत्तिके राष्ट्रसे रोजगारीके राष्ट्रसम ओ रोजगारीके राष्ट्रसे उत्पत्ति वा बसोबासके राष्ट्रसम अइना जैना डगरीमे परल देश कना बुझ्जाइथ् ।

७१.आप्रवासी कामदार तथा ओइनके परिवारके सदस्यनके अधिकारके का कैसिन व्यवस्था बा ?

उत्तर : यी महासन्धिमे आप्रवासी कामदार तथा ओइनके परिवारके सदस्यनके लाग तमान अधिकार सुनिश्चित कैगिल बा। ऊ अधिकार यी प्रकारके बा :

(क) कौनो फे राष्ट्र छोड् पैना अधिकार,
(ख) उत्पत्तिके राष्ट्रमे कौनो फे समयमे प्रवेश करे ओ बैठे पैना अधिकार,
(ग) बाँचे पैना अधिकार,
(घ) यातना, क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धके अधिकार,
(ङ) दासता विरुद्ध संरक्षणके अधिकार,
(च) विवेक ओ धर्मके स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकार,
(छ) विचार ओ अभिव्यक्तिके स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकार,
(ज) सम्पत्तिके स्वामित्वसे स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप विरुद्ध संरक्षणके अधिकार,
(झ) स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिके सुरक्षासम्बन्धी अधिकार,
(ञ) कूटनीतिक निकायसे संरक्षण तथा सहयोगके याचना करे पैना अधिकार,
(ट) कानुनके आघे समानताके अधिकार, आपतकालीन स्वास्थ्य सुविधाके अधिकार,
(ठ) उत्पत्तिके राष्ट्रसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम करे पैना अधिकार,
(ड) निजी सम्पत्तिके प्रयोगके अधिकार, सूचनाके अधिकार,
(ढ) सांस्कृतिक पहिचानके संरक्षणके अधिकार,
(ण) परिचय(पत्र ओ यात्राके कागजात (राहदानी, भिसा, श्रम अनुमति(पत्र करार आदि) राखे, प्राप्त कर्ना ओ सुरक्षित कर्ना अधिकार आदि।

७२. आप्रवासी कामदारके बालबच्चा का(कैसिन अधिकारके बारेमे यी महासन्धि व्यवस्था कर्ले बा ?

उत्तर : आप्रवासी कामदारके बच्चनके नाम जन्मदर्ता, नागरिकताके अधिकार, आप्रवासी कामदारके बच्चनहे समानताके आधारमे शिक्षामे पहुँचके अधिकार जैसिन अधिकारके बारेमे यी महासन्धि व्यवस्था कर्ले बा।

७३. अभिलेखबद्ध कामदार ओ अभिलेखबद्ध नै रहल कामदार कलक को बुझ्काइथ् ?

उत्तरः रोजगारीके राष्ट्रमे ऊ देशके कानुन अनुसार प्रवेश कर्ना, बसोवास कर्ना ओ काम कर्ना अनुमति पाइल आप्रवासी कामदारनहे अभिलेखबद्ध कामदार (Documented Worker) कहिजाइथ् । मने, रोजगारीके राष्ट्रमे प्रवेश कर्ना, बसोवास कर्ना ओ काम कर्ना अनुमति नै पाइल आप्रवासी कामदारनहे अभिलेखबद्ध नै रहल कामदार (Undocumented Worker) कहिजाइथ् ।

अपाङ्गता हुइल व्यक्तिनके अधिकार

७४. अपाङ्गता हुइल व्यक्ति कहिके किही बुझाइथ् ?

उत्तरः यी महासन्धि अनुसार अपाङ्गता हुइल व्यक्ति कलक दीर्घकालीन अशक्ततासे सिर्जित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी कमजोरी तथा ओकर तमाम अवरोधके कारण समाजमे औरे व्यक्तिसरह समान आधारपूर्ण ओ प्रभावकारी ढङ्गमे सहभागी हुइना बाधा पुगल व्यक्ति समेतहे जनाइथ् ।

७५. अपाङ्गता हुइल व्यक्तिनके अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कलक का हो ?

उत्तरः संयुक्त राष्ट्रसङ्घके महासभासे सन् २००६ मे पारित करल अपाङ्गता हुइल व्यक्तिनमे मानवअधिकार संरक्षण कर्ना सम्बन्धी महासन्धिहे 'अपाङ्गता हुइल व्यक्तिनके अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६' कहिजाइथ् । यी महासन्धिमे ५० धारा बा । यी महासन्धिसे अपाङ्गता हुइल व्यक्तिनके मर्यादा, सम्मान, सहभागीता ओ समावेशीकरण, मर्यादा, समान अवसरके लाग मानवअधिकारके आधारभूत सिद्धान्तहे आत्मसात् कर्ती अपाङ्गता हुइल व्यक्तिहुके फे औरे व्यक्ति सरह सक्कु प्रकारमे मानवअधिकार समान रूपले उपयोग करे पैना व्यवस्था कर्ले बा । यी महासन्धिके एक्थो स्वैच्छिक आलेख (optional protocol) फे बा, जेम्ने १८ धारा बा । नेपाल यी महासन्धि ओ यकर स्वैच्छिक आलेखहे २००८ जनवरी ३ मे हस्ताक्षर कैके २००९ डिसेम्बर २७ के दिन व्यवस्थापिका संसदसे अनुमोदन कर्ले बा

७६. अपाङ्गता हुइल व्यक्तिनहे का(कैसिन अधिकार सुनिश्चित करे परथ् ?

उत्तरः यी महासन्धिहे अनुमोदन कर्ना राज्यसे अपाङ्गता रहल व्यक्तिनहे निम्न अधिकार सुनिश्चित करे परथ् :

- स्तरयुक्त जीवनयापन ओ काम प्राप्तिके अधिकार,
- सम्पत्तिके अधिकार, रोजगारी वा स्वरोजगारीके अवसरमे प्रर्वद्धन,
- स्वास्थ्य ओ शिक्षाके अधिकार (सांकेतिक भाषा ओ ब्रेललिपिमे पढे पैना,
- आपन इच्छा अनुसारके व्यावसायिक वा व्यवहारिक शिक्षा, अवसर ओ छात्रवृत्ति,
- सार्वजनिक संरचना, सार्वजनिक यातायत ओ स्थानमे पहुँचके अधिकार,
- उचित ओ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ओ वासस्थानके अधिकार,
- गरिबी निवारणके लघुवित्तीय योजना,
- राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमे सहभागिताके अधिकार,
- सूचना प्राप्तिके अधिकार ओ गोपनीयताके अधिकार, गुणस्तरीय जीवनस्तर ओ सामाजिक जीवनमे सहभागिताके अधिकार,
- सांस्कृतिक जीवन, मनोरञ्जन, विश्राम तथा खेलकुदमे सहभागिताके अधिकार ।

७७. अपाङ्गता रहल व्यक्तिनके अधिकार संरक्षण करकलाग राज्य कैसिन दायित्व सिर्जना करे परल ?

उत्तरः राज्य अपाङ्गता हुइल मनैनके लाग बिना भेदभाव सक्कु मानवअधिकार एवम् आधारभूत स्वतन्त्रताहे पूर्णरूपमे सुनिश्चित करे परल । यी महासन्धिमे उल्लेखित अधिकारके उपभोग कर्ना, अपाङ्गता रहल व्यक्तिनहे सक्षम बनाइकलाग पक्षराष्ट्रूहुक्रे एक्थो मापदण्ड तयार करे परथ । अस्तके, सम्बन्धित राज्यसे अपाङ्गता हुइल व्यक्तिनके अधिकारके सचेतना, सामर्थ्य ओ योगदान अभिवृद्धि करे परथ् । अपाङ्गतासे सम्बन्धित पुरातनवादी धारणा एवम् पूर्वाग्रहहे निरुत्साहित करकलाग सम्बन्धित राज्यसे सचेतना अभिवृद्धिके लाग व्यापक स्तरमे अभियान सञ्चालन करे परथ् ।

७८. राज्यके मुख्य प्राथमिकता का हो ?

उत्तरः राज्यसे प्रभावकारी कानुन तथा नीति(नियम तर्जुमा हुई परथ् । ऊ कानुन तथा नीति(नियमहे सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करकलाग राज्यसे उपयुक्त संयन्त्र निर्माण हुई परथ् । अस्तके, महासन्धि कार्यान्वयनके अवस्थाहे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसे समय समयमे अनुगमनके व्यवस्था हुई परथ् ।

बलपूर्वक बेपत्ता बनैना काम विरूद्धके अधिकार

७९. बेपत्ता हुइल अवस्थाहे कैसिक परिभाषित कैगिल बा ?

उत्तर : यी महासन्धि अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता कलक् 'व्यक्तिनहे कानुनके संरक्षणसे बाहर पर्नागरी स्वतन्त्रताके हरण कैके उक्त तथ्यहे अस्वीकार कर्ना वा बेपत्ता व्यक्तिनके अवस्थाके साथे निजके बारेम कौनो जानकारी नैदेना हिसाबले राज्यके प्रतिनिधिहुक्रे वा राज्यके अख्तियारी, समर्थन वा सम्मति साथ काम कर्ना व्यक्ति वा समूहसे कैजिना पक्राउ, थुनछेक, अपहरण वा स्वतन्त्रतासे वञ्चित कर्ना औरे स्वरूपहे मानजाई ।'

८०.बलपूर्वक बेपत्ता बनाइल सक्कु व्यक्तिनके संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कलक का का बुझ्जाइथ् ?

उत्तरः तमान देशके सरकारसे व्यक्तिनहे तमान बहानामे बेपत्ता बनैना कामहे रोकक्लाग संयुक्त राष्ट्रसङ्घके महासभासे सन् २००६ डिसेम्बर २० पारित हुइल सन्धिहे 'बलपूर्वक बेपत्ता बनाइल सक्कु व्यक्तिनके संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि' कहिजाइथ् । नेपाल यी सन्धिहे हालसम हस्ताक्षर तथा अनुमोदन नै कर्ले हो ।

८१. मनैनहे बलपूर्वक बेपत्ता बनैना कामहे यी महासन्धि कैसिक सम्बोधन कर्ले बा ?

उत्तरः यी महासन्धिके प्रावधानअनुसार किहुहे फे बलपूर्वक बेपत्ताके भागिदार नै बनाजाई । युद्धके अवस्था वा त्रास, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता वा सार्वजनिक सङ्कट वा औरे कौनो फे परिस्थितिमे बलपूर्वक बेपत्ता कर्ना कामहे जायज माने नैसेकजिना कहिके यी महासन्धि स्पष्ट कर्ले बा । साथे, कौनो फे गैरसैनिक, सैनिक वा औरे सार्वजनिक अधिकारीके आदेश वा निर्देशन मानगिल स्पष्टोक्तिसे बलपूर्वक बेपत्ताके कसुरके औचित्य पुष्टि हुई नैसेकी कहिके उल्लेख बा ।

८२. बलपूर्वक बेपत्ता हुइल व्यक्तिनके सम्बन्धमे राज्यसे कैसिन उपचारके व्यवस्था हुई परथ् ?

उत्तरः यी महासन्धि अनुसार, राज्यके अख्तियारी, समर्थन वा सम्मति प्राप्त नै करल व्यक्ति वा व्यक्तिनके समूहसे कैगिल बेपत्ता पर्ना कामके अनुसन्धान कर्ना ओ ओकर लाग जिम्मेवार रहल मनैनहे न्यायसमक्ष लानकलाग हरेक राज्यसे उपयुक्त उपाय अपनाइ परी । साथे, हरेक राज्य बलपूर्वक बेपत्ता हुक्नहे आपन फौजदारी कानुनमे अपराध कायम करके आवश्यक उपाय अपनाइपर्ना बात सन्धिमे उल्लेख बा । हरेक राज्य बलपूवर्क बेपत्ताके कसुरहे गम्भीरताके साथ उपयुक्त सजायसे दण्डनीय बनाइ परथ् ।

८३. बलपूर्वक बेपत्ता पर्ना कामहे कैसिन प्रकारके अपराध कहिगिल बा ? का ऐसिन अपराधके हदम्याद रहथ् ?

उत्तरः यी सन्धिसे कैगिल परिभाषा अनुसार व्यापक ओ सुनियीजित रूपमे कैगिल बलपूर्वक बेपत्ताके काम मानवता विरुद्धके अपराध हुंइथ कहिगिल बा । यिहीहे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतके विधान (रोम विधान) १९९८ से फे 'मानवता विरुद्धके अपराध' कहिके उल्लेख कर्ले बा । फौजदारी कारबाहीके हदम्याद नै हो मने यी कसुर अटूट रूपमे हुइतीरहल कना बात पुष्टि हुइ परथ् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन

८४. अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन कलक का बुझजाईथ् ?

उत्तरः अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन कलक विशेष कैके युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षके बेला लागु हुइना कानुनहे बुझजाइथ् । यिहसे अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षहे नियमित कर्ना, युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षसे उत्पन्न हुइना पीडा वा असरहे कम कर्ना तथा प्रत्यक्ष रूपमे युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमे सहभागी नै हुइल ओ कौनो कारणवश युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमे भाग लेना असक्षम व्यक्तिनके सुरक्षा कर्नाके साथे ओइनके विरुद्धमे कौनो फे अमानवीय व्यवहार करे रोक लगगिल बा । यिहीहे युद्धके कानुन वा सशस्त्र द्वन्द्वके कानुन फे कहिके चिनजाइथ् । अस्तके युरोपेली राष्ट्र स्विट्जरल्यान्डके जेनेभा सहरमे पारित हुइलक ओरसे यी सन्धिहे जेनेभा महासन्धि फे कहिजाइथ् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनके प्रमुख स्रोत कलक जेनेभा महासन्धि ओ ओकर अतिरिक्त प्रलेख फे हुइात् ।

८५. प्रमुख जेनेभा महासन्धि का–का हो ?

उत्तरः प्रमुख जेनेभा महासन्धि यी मेरके बा :

पहिल महासन्धि युद्ध मैदानमे घाइते तथा बिरामी हुइल सैनिकके अवस्था सुधार सम्बन्धी, दोसर महासन्धि समुद्रमे घाइते, बिरामी ओ सङ्कटग्रस्त जहाजके सशस्त्र सेनाके सदस्यनके अवस्था सुधार सम्बन्धी,

तिस्रा महासन्धि युद्धबन्दीनसँग कैजिना व्यवहार सम्बन्धी, चौथा महासन्धि युद्धके समयमे गैरसैनिक व्यक्तिनके संरक्षण सम्बन्धी ।

८६. जेनेभा महासन्धि विषेश कैके केकर सुरक्षामे ध्यान देहथ् ?

उत्तरः जेनेभा महासन्धि युद्धसे पीडित हुइल मनैनके सुरक्षाके प्रत्याभूति करथ् । जे खासकैके

सशस्त्र सङ्घर्षमे वा युद्धमे प्रत्यक्ष रूपमे भाग नैलेना व्यक्ति, जस्तेः बिरामी, घाइते होके लडकलाग असक्षम योद्धा,थुनामे रहल, हतियार बिसाइल योद्धाहुक्के ओ सर्वसाधारण नागरिकके सुरक्षामे ध्यान देहथ् ।

८७. जेनेभा महासन्धिके कैसिन महत्व रहल बा ?

उत्तरः विशेष कैके यी सन्धि युद्धके बेला आकर्षित हुइना हुइलक् ओरसे विश्वमे युद्धसे वा युद्धके कारणसे बढ्ती गैल मानव पीडा ओ क्षतिहे कम करे, युद्धहे नियमित ओ व्यवस्थित करे, गैर नागरिकके संरक्षण करे अथवा पीडा उब्जन नैदेहकलाग अन्तर्राष्ट्रिय जेनेभा महासन्धिके महत्व बा ।

८८. आन्तरिक सशस्त्र सङ्घर्षमे अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनके कौन कौन दस्तावेज प्रमुख रूपमे लागु हुइथैं ?

उत्तरः आन्तरिक सशस्त्र सङ्घर्षमे जेनेभा महासन्धिके साझा धारा ३ ओ जेनेभा महासन्धिके दोसर अतिरिक्त प्रलेख प्रमुख रूपमे लागु हुइथ् ।

८९. जेनेभा महासन्धिके धारा ३ हे काहे साझा धारा कहिगिल हो ?

उत्तर : चारथो जेनेभा महासन्धिके धारा ३ मे आन्तरिक द्वन्द्व वा सशस्त्र सङ्घर्षमे द्वन्द्वरत पक्षहुक्के पालना करेपर्ना न्युनतम मानवीय व्यवहार रहल अक्के प्रकारके कानुनी व्यवस्थाके उल्लेख कैगिलक् ओरसे जेनेभा महासन्धिके धारा ३ हे 'साझा धारा' कहिगिल हो ।

९०. जेनेभा महासन्धिके साझा धारा ३ अनुसार न्युनतम मानवीय व्यवहार भित्तर कैसिन कैसिन व्यवहार पर्थैं ?

उत्तर : जेनेभा महासन्धिके साझा धारा ३ अनुसार युद्धरत पक्षहुक्के पालना करेपर्ना न्युनतम मानवीय व्यवहार यी प्रकार रहल बातैं :

१. सङ्घर्षमे सक्रिय रूपमे भाग नैलेहुइया व्यक्ति, सशस्त्र सेनाके हतियार त्याग करुइया व्यक्ति, घाइते अथवा बिरामी होके नजरबन्दमे अथवा औरे कौनो कारणसे लडाइँसे अलग हुइल मनैनहे जाति, धर्म, विश्वास, लिङ्ग, जन्म, धन वा ओस्ते आधारमे भेदभाव नैकर्के चाहेजौन परिस्थितिमे फे करेपर्ना मानवीय व्यवहार ।
२. बिरामी ओ घाहिल मनैनके सङ्कलन करल आवश्यक हेरचाह करेपर्ना मानवीय व्यवहार ।

९१. जेनेभा महासन्धिके साझा धारा ३ अनुसार करे नै हुइना व्यवहार कौन-कौन हुँइत् ?

उत्तर : सङ्घर्षमे सक्रिय रूपमे भाग नैलेहुइया मनै, सशस्त्र सेनाके हतियार छोडुइया मनै,

घाहिल वा बिराम होके नजरबन्दमे वा औरे कौनो कारणले लडाइुसे अलग हुइल मनैनके विरुद्धमे निम्न व्यवहार करे नैहुइथ् :

- हत्या, अंगभग, यातना,
- बन्धक बनैना,
- व्यक्तिगत मर्यादामे आघात पुगैना, विशेष कैके अपमानजनक ओ होच्यैना व्यवहार,
- कानुन बमोजिम स्थापना हुइल अदालतके निर्णय बिना दण्ड सुनैना ओ उहीहे कार्यान्वयन कर्ना

९२. जेनेभा महासन्धिके पालना का(का करे परथ् ?

उत्तर : युद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षहुक्रे जेनेभा महासन्धिके पालना करे परथ् ।

९३. जेनेभा महासन्धिके पालना नै कर्लसे का कैसिन कारबाही हुई सेकथ् ?

उत्तरः मानवीय कानुनके पालना नै कर्लसे युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धके अपराधके साथे मानवके जीवन, स्वतत्रता ओ मर्यादाके उल्लङ्घन करल मानजाईथ् ओ ऐसिन अपराध करुइया विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमे कानुनी कारबाही हुई सेकथ् ।

आदिवासी जनतनके अधिकार

९४. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनके महासन्धि नं. १६९ कलक् का का बुझजाईथ् ?

उत्तरः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनके महासन्धि नं. १६९ कलक् आदिवासीनके विशिष्ट पहिचान, संस्कृति ओ जीवन पद्धति लगायतके व्यापक अधिकार समेटल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि बुझ जाइथ् । यी महासन्धिमे भूमि, भूभाग ओ स्रोत, आत्मनिर्णीत विकासके प्राथमिकताके अधिकारहे स्वःव्यवस्थापन ओ सहव्यवस्थापनके रुपमे पहिचान कर्ना लगायतके प्रावधान समेटल बा । महासन्धिके अनुमोदन करलपाछे अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सम्बन्धित मुलुक यकर प्रावधानहे राष्ट्रिय तहमे कार्यान्वयन कर्ना कानुनी दायित्व सृजना हुइथ् ।

९५. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनके महासन्धि नं. १६९ हे नेपाल कहिया अनुमोदन कर्ले रहे ?

उत्तरः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनके महासन्धि नं. १६९ हे नेपाल २०६४ साल भाद्र २८ गते अनुमोदन कर्ले रहे ।

९६. महासन्धि नं. १६९ अन्तर्गत राज्यके दायीत्व का हो ?

उत्तरः महासन्धि नं. १६९ अन्तर्गत आदिवासीनसँग परामर्श ओ ओइनके प्रतिनिधित्व कराके संयन्त्र बनैना ओ सञ्चालन कर्ना, आदिवासीनसँग परामर्श करके परामर्शके लाग उपयुक्त संयन्त्र ओ प्रक्रिया स्थापित कर्ना, मुलुकके औरे समुदायसँग बराबर हैसियतमे सक्कु अधिकार उपभोग सुनिश्चित कर्ना, आदिवासीनके सामाजिक, आर्थिक ओ सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरुपमे उपभोगके लाग प्रबर्द्धन कर्ना, आदिवासीहुक्के ओ मुलुकके औरे समुदायबीच विद्यमान सामाजिक आर्थिक दूरी अन्त्य कर्ना, ओ आदिवासीनके संस्थाहे प्रबर्द्धन ओ सहयोग कर्ना राज्यके मुख्य दायित्व हो ।

९७. आदिवासीनके सहभागिता महासन्धि नं. १६९ मे कैसिन व्यवस्था कैगिल बा ?

उत्तरः महासन्धि नं. १६९ के धारा ६(१ (ख) अनुसार सरकारसे "सम्बन्धित समूहहुके ओइनहे सरोकार रख्ना नीति तथा कार्यक्रमके कार्यान्वयनके लाग जिम्मेवार निर्वाचित संस्था तथा प्रशासनिक एवं औरे अंगके निर्णय लेना सब तहमे स्वतन्त्रतापूर्वक ओ कम्तीमे फे जनसंख्याके औरे समूह बरावर सहभागी हुई पैना माध्यम निर्माण करे परथ्" व्यवस्था कैगिल बा ।